279

36+42=78

J. No. 1277-79

इस गजट में हिन्दी और अंग्रेज़ी के Pages Nos. Continue नहीं हैं। हिन्दी के No. 1-36 और Eng. के No. 1-42 अलग अलग हैं।

राजस्थान राज-पत्र	Regd. No. RJ. 2539. RAJASTHAN GAZETTE
विशेषांक	Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

अग्रहायण 21, बुद्धवार शाके 1901, दिसम्बर 12, 1979

Agrahayana 21, Wednesday, Shaka 1901, Dec. 12, 1979

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम

विधि विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर, 12, 1979

संख्या एफ. 2 (15) विधि/79.—राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 10 दिसम्बर, 1979 ई० को प्राप्त हुई एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

राजस्थान जल-प्रदाय तथा सीवरेज निगम अधिनियम, 1979.

(अधिनियम संख्या 15 सन् 1979)

[राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 10 दिसम्बर, 1979 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में जल-प्रदाय तथा सीवरेज सेवाओं के द्रुत विकास तथा समुचित विनियमन हेतु तथा अन्य पर्यावरिक अभियांत्रिक सेवाओं के निष्पादन हेतु जल-प्रदाय तथा सीवरेज निगम स्थापित करने का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :—

LAW DEPARTMENT

Notification

Jaipur, December 12, 1979

No. F. 2 (15) Vidhi/79–In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Jal-Pradaya Tatha Sewerage Nigam Adhiniyam, 1979. (Adhiniyam Sankhya 15, San 1979)

ENGLISH TRANSLATION

The Rajasthan Water Supply and Sewerage Corporation, Act. 1979.

(Act No. 15 of 1979)

(Received the assent of the President on the 10th day of December, 1979)

An

Act

to provide for the establishment of a Water Supply and Sewerage Corporation for rapid development and proper regulation of water supply and sewerage services, and for performance of other environmental engineering services in the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

1. **Short title, extent and commencement** :— (1) This Act may be called the Rajasthan Water Supply and Sewerage Corporation Act, 1979.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan excluding the cantonment areas.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Act; and a reference in any provision to the date of commencement of this Act shall be construed as reference to the date of commencement of that provision.

2. **Definitions** :— In this Act, unless the context otherwise requires :—

(i) "bye-laws" means bye-laws made under this Act;

(ii) "Corporation" means the Rajasthan Water Supply and Sewerage Corporation established under section 3;

(iii) "cess-pool" includes a settlement tank or other tank to receive or dispose off foul matter from any premises;

(iv) "Chairman" means the Chairman of the Corporation;

(v) "communication pipe" means any pipe or system of pipes, alongwith all fittings thereto, by means of which water is supplied to any premises from the main, and includes a connection pipe, service pipe, meter or other fittings;

(vi) "connection pipe" means any water pipe from a ferrule to stop-cock connecting the main of the local body or the Corporation, as the case may be with the service pipe;

(vii) "consumer" means any person getting the benefit of any water supply or sewerage service from the local body or the Corporation, as the case may be;

(viii) "Director" means a Director of the Corporation, and includes the Chairman and the Managing Director;

(ix) "domestic sewage" means waste water from the residential premises, boarding and lodging houses, hostels hotels, public places, offices and all such establishments as are not a part of any trade or industry, and arising out of

personal and normal human activities such as drinking, bathing, ablution washing and cooking;

(x) "drain" means a sewer, tunnel, pipe, ditch, gutter or channel or any cistern, flush-tank, septic tank or other device for carrying off or treating sewage, offensive matter, polluted water, sullage, waste water or sub-soil water, and includes any culvert, ventilation shafts or pipe or other appliances or fittings connected with such drain, and any ejectors compressed air mains, sealed sewage mains and special machinery or apparatus for raising collecting, expelling or removing sewage or offensive matter from any place;

(xi) "ferrule" means a ferrule connecting the connection pipe with the main;

(xii) "local area" means the area falling within the jurisdiction of a local body;

(xiii) "local body" means a municipal board, committee, corporation or council, a district board, Zila Parishad, a Panchayat Samiti, Panchayat or other authority legally entitled to, or entrusted by the Government, with the control or management of a municipal or local fund and shall also include an Urban Improvement Trust;

(xiv) "Public Health Engineering Department" means the Department functioning for the maintenance and execution of water supply and sewerage schemes of the Government of Rajasthan;

(xv) "main" means a pipe laid by the local body, or the Corporation as the case may be, for the purpose of giving general supply of water as distinct from supply to individual consumers, and includes any apparatus used in connection with such a pipe;

(xvii) "non official Director" means a Director; not being an ex-officio Director;

(xviii) "occupier", in relation to any premises, means the following :—

(a) any person for the time being paying for liable to pay rent or any portion thereof to the owner in respect of those premises;

(b) an owner who is in occupation of those premises;

(c) a tenant of those premises who is exempt from payment of rent;

(d) a licensee who is in occupation of these premises; and

(e) any person, who is liable to pay damages to the owner in respect of use and occupation of those premises;

(xix) "owner", in relation to any premises, means the person who receives the rent of the said premises or who whould be entitled to receive the rent thereof if the premises were let, and includes :—

(a) an agent or trustee who receives such rent on account of the owner;

(b) an agent or trustee who receives the rent of, or is entrusted with the management of, any premises devoted to religious or charitable purposes;

(c) a receiver or manager appointed by any Court of competent jurisdiction to have the charge of, or to exercise the rights of an owner of the said premises; and

(d) a mortgagee-in-possession;

(xx) "polluted water" means water containing objectionable or harmful material rendering it unfit for its intended use;

(xxi) "premises" means any land or building or any part of land or building;

(xxii) "Prescribed" means prescribed by rules;

(xxiii) "Prescribed Authority" means any authority appointed by the State Government, by notification in the official Gazette, to perform all or any of the functions of the Prescribed Authority;

(xxiv) "private street", "public street" and "street" in relation to any local area, shall have the meanings assigned to them in the law relating to the local body having jurisdiction over that local area;

(xxv) "regulations" means regulations made under this Act;

(xxvi) "rules" means rules made under this Act;

(xxvii) "service pipe" means any pipe other than the connection pipe beyond the stop-cock by means of which water is supplied to any premises;

(xxviii) "sewage" means night-soil and other contents of water closets, latrines, privies, urinals, cesspools or drains, and polluted water from sinks, bath rooms, stables and other like places, and includes trade effluents;

(xxix) "sewer" means a closed conduit for carrying sewage offensive matter: polluted water, waste water or sub-soil water;

(xxx) "sewerage" means a system of collection of waste water from a community from its houses, institutions, industry and public places, the pumping, treatment and disposal of such waste water, its effluent, sludge, gas, and other products;

(xxxi) "stop-cock" means a stop-cock fitted at the end of the connection pipe away from the main for the purpose of switching off and regulating the water supply to any premises;

(xxxii) "trade effluent" means any liquid either with or without particles of matters in suspension therein, which is wholly or in part produced or discharged in the course of any trade or industry, including agriculture and horticulture but it does not include domestic sewage;

(xxxiii) "waste water" means the spent water of a community and it includes the combination of liquid and water carrying wastes from residences, commercial buildings, industrial plants and institutions together with ground water, surface water and storm water;

(xxxiv) "water-connection" includes—

(a) any tank, cistern, hydrant, stand-pipe, meter or tap situated on any private property and connected with a main or other pipe belonging to the local body or the corporation, as the case may be;

(b) the water pipe connecting such a tank, cistern, hydrant, stand-pipe, meter or tap, with such main or pipe;

(xxxv) "water supply" means a system of providing water to a community for meeting its requirement for drinking and other domestic uses, industry, recreation and various public uses;

(xxxvi) "water words" includes water channel (including stream lake, spring, river or canal, well, other underground water source, pump, gallaries, reservoir, cistern tank) duct whether covered or open, treatment units, sluice supply main, culvert, engine, water truck, hydrants

stand-pipe, conduit and machinery, land, building or other things for supplying or used for supplying water or for protecting sources of water supply or for treatment of water.

CHAPTER-II

Establishment, Conduct of Business, Duties And Powers Of The Corporation.

3. Establishment of the Corporation—(1) As soon as may be after the commencement of this Act, the State Government shall, by notification in the official Gazette, with effect from a date to be specified therein, establish for the purposes of this Act a Corporation to be called "The Rajasthan Water Supply and Sewerage Corporation".

(2) The Corporation shall be a body corporate, having perpetual succession and a common seal, with powers, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold or dispose off property, both movable and immovable and to contract, and may sue or be sued by its corporate name as aforesaid.

4. Constitution of the Corporation—(1) The Corporation shall consist of the following namely:—

(a) Chairman, to be appointed by the State Government;

(b) Managing Director, possessing such qualifications as may be prescribed, to be appointed by the State Government;

(c) Financial Director, who shall be a qualified economist, to be appointed by the State Government;

(d) Secretary to the Government of Rajasthan in Public Health Engineering Department, Ex-officio Director;

(e) Secretary to the Government of Rajasthan in Finance Depart ment, Ex-officio-Director;

(f) Special Secretary to the Government of Rajasthan in Planning Department, Ex-officio-Director;

(g) Chief Engineer of the Corporation, Ex-officio-Director;

(h) Three non-official Directors, at least one of whom shall be member of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, to be appointed by the State Government;

(i) two members of the Rajasthan Legislative Assembly to be appointed as non-official Directors by the State Government on the recommendations of the Speaker of Legislative Assembly.

(2) The names of the persons appointed as non-official Directors shall be published in the official Gazette.

5. **Disqualification for being Chairman, Managing Director or a non-official Director** —A person shall be disqualified for being appointed or continuing as Chairman, Managing Director or a non-official Director, if he—

(a) has been convicted of an offence involving moral turpitude;

(b) is an undischarged insolvent;

(c) is of unsound mind and stands so declared by a competent Court;

(d) holds, except as provided in section 6, any office of profit under the Corporation;

(e) has, directly or indirectly by himself or by any partner, employer or employee, any share or interest, whether pecuniary or of any other nature, in any contract or employment with, by or on behalf, of the Corporation; or

(f) is a Director, secretary, manager or other officer of any company, which has any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of, the Corporation;

Provided that, a person shall not be disqualified under clause (e) or clause (f) by reason only of his or the company of which he is a director, secretary, manager or other officer having a share or interest in—

(i) any sale, purchase, lease or exchange of immovable property or any agreement for the same;

(ii) any agreement for loan of money or any security for payment of money only;

(iii) any newspaper in which any advertisement relating to the affairs of the Corporation is published;

(vi) the occasional sale to the Corporation, upto a value not exceeding ten thousand rupees in any one year, of any article in which he or the company regularly trades;

6. Term of office, salary and allowances of Directors—

(1) The Chairman, unless appointed ex-officio shall hold office for three years. The State Government may, if it thinks fit in public interest so to do, by notification in the official Gazette, terminate the appointment of the Chairman earlier without entitling him to any right to compensation whatsoever.

(2) The Managing Director and Financial Director shall hold office for such period as the State Government may, by order, specify.

(3) A person appointed as Director under clause (h) of sub-section (1) of section 4 shall hold office for three years:

Provided that his term may be determined earlier by the State Government, by notification in the official Gazette.

(4) A person appointed as Director under clause (i) of sub-section (1) of section (4) shall hold office for three years:

Provided that he shall cease to be a Director on his ceasing to be a member of the Rajasthan Legislative Assembly.

(5) A Director shall be eligible for re-appointment.

(6) Any Director may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the State Government, and on such resignation being accepted, he shall be deemed to have vacated his office.

(7) If any Director is by in firmity or otherwise renderd temporarily incapable of carrying out his duties or is absent on leave or otherwise in circumstances not involving the vacation office, the State Government may appoint another person to officiate for him and to carry out his functions under this Act.

(8) The Chairman, the Managing Director and Financial Director shall be paid from the Corporation Fund such salary and allowances as may be fixed by the State Government.

(9) The other Directors of the Corporation shall be paid such allowances as may be fixed by the State Government,

7. **Removal of the Chairman and other non-official-Directors**—(1) If at any time, it appears to the State Government that the Chairman has shown himself to be unsuitable for his office, or has been guilty of any misconduct or neglect which renders his removal expedient, or has incurred any of the disqualifications mentioned in section 5, it may, by notification in the official Gazette remove him from office after giving him reasonable opportunity of showing cause.

(2) The State Government may, by notification in the official Gazette, remove any non-official Director from office after giving him reasonable opportunity of showing cause—

(a) if the Director, other than the Chairman, Managing Director or an ex-officio-Director, absents himself, without permission of the Chairman, from three consecutive meetings of the Corporation;

(b) if he has incurred any of the disqualifications mentioned in section 5 :

(c) if he, in the opinion of the Government, is unsuitable or has become unfit for acting as a Director or has so abused his position as a Director as to render his continuance as such Director detrimental to public interest.

8. Officers and servants of the Corporation and their recruitment and conditions of service.—(1) The Corporation may appoint such officers and servants as it considers necessary for the efficient performance of its duties and discharge of its functions against the post sanctioned by the State Government. The recruitment and the conditions of service of the officers and servants of the Corporation shall be determined by regulations.

(2) The Corporation may, with the previous approval of the appropriate Government, appoint a servant of the Central Government or the State Government as an employee of the Corporation on such terms and conditions as its thinks fit.

(3) Subject to the superintendence of the Corporation. The Managing Director shall be the Chief Executive Officer of the Corporation. He shall supervise and control all the officers and servants including any officer of Government appointed on deputation to the Corporation.

9. Authentication of orders etc. of the Corporation:—All proceedings of the Corporation shall be authenticated under the signatures of the Chairman or of any Director authorised in this behalf by the Chairman and all other orders and instruments of the Corporation shall be authenticated under the signatures of the Managing Director or of any other officer of the Corporation as may be authorised in this behalf by regulations.

10. Assistance of Government Officers etc. — The Corporation may invite any officer of Government or local body or other person to attend its meeting for the purpose of assisting or advising it on any matter. The person so invited may take part in the proceedings of the Corporation but shall have no right to vote.

11. Delegation of powers.—Subject to the provisions of this Act the Corporation may, by general or special order, or by rules to be prescribed, delegate, either unconditionally or subject to such conditions, including the condition of review by itself, as may be specified in the order, to any committee appointed by it or to the Chirman or the Managing Director or any other officer of the Corporation such of its powers duties and functions under this Act as it deems fit, not being its powers, duties and functions under sections 34, 62 and 67.

12. Disqualification for participation in proceedings of the Corporation or of Committee on account of interest.

(1) Any Director of the Corporation or a member of a Committee appointed by the Corporation, who :

(a) has any share or interest of the nature described in clause (e) or clause (f) of section 5 in respect of any matter, or

(b) has acted professionally, in relation to any matter on behalf of any person having therein any such share or interest as aforesaid, shall not, notwithstanding any thing contained in the proviso to section 5, vote or take part in any proceedings (including any discussion on any resolution or question) of the Corporation or committee, thereof relating to such matter.

(2) If any Director of the Corporation or any member of a committee appointed by the Corporation has directly or indirectly any interest in any area in which it is proposed to acquire land for any of the purposes of this Act, he shall not take part in any meeting of the Corporation or committee thereof in which any matter relating to such land is considered.

(3) Nothing in sub-section (1) or (2) shall prevent any Director of the Corporation or any member of a committee thereof from voting on, or taking part in the discussion of, any resolution or question relating to any subject other than a subject referred to in these sub-sections.

13. Acts not to be invalidated by vacancy, irregularity etc—No act done or proceedings taken under this Act by the Corporation or a committee appointed by the Corporation shall be invalidated merely on the ground of :

(a) any vacancy of a Director or a member, or any defect in the Constitution or reconstitution of the Corporation or a committee thereof; or

(b) any defect or irregularity in the appointment of a person as a Director of the Corporation or as a member of a committee thereof; or

(c) any defect or irregularity in such act or proceedings, not affecting the substance.

14. Duties and functions of the Corporation—The duties and functions of the Corporation shall be as follows, namely :—

(a) to prepare, execute, promote and finance schemes for supply of water and for sewerage and sewage disposal;

(b) to render all necessary services in regard to water supply and sewerage to the State Government and local bodies, and on request, to private institutions or individuals also;

(c) to prepare draft State Plans, for water supply,sewerage and drainage on the direction of the State Government;

(d) to review and advise on the tariff taxes fees, and charges of water supply and sewerage systems, in the areas of the Corporation and the local bodies which have entered into an agreement with the Corporation;

(e) to assess the requirement of materials and arrange for their procurement and utilisation;

(f) to establish State standards for water supply and sewerage services;

(g) to review annually the technical, financial, economic and other aspects of water supply and sewerage system of every scheme of the Corporation or the local bodies which have entered into an agreement with the Corporation;

(h) to establish and maintain a facility to review and apprise the technical, financial, economic and other pertinent aspects of every water supply and sewerage scheme in the State;

(i) to operate, run and maintain any water works and sewerage system, if and when so directed by the State Government, on such terms and conditions and for such period as may be specified by the State Government;

(j) to assess the requirements of manpower and training in relation to water supply and sewerge services in the State;

(k) to carry out applied research for efficient discharge of the duties and functions of the Corporation;

(l) to perform such of the duties and functions which are being performed by the Public Health Engineering Department of the State as may be specifed, from time to time, by the State Government;

(m) to perform and discharge such other duties and functions as are allotted to the Corporation under other provisions of this Act ; or

(n) to perform such other environmental engineering functions as may be specified by the State Government, by notification in the official Gazette.

15. Powers of the Corporation.—(1) The Corporation shall subject to the other provisions of this Act, have power to do any thing which may be necessary or expedient for performing its duties and discharging its functions under this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such powers shall include the power—

(a) to inspect the water supply and sewerage facilities in the State by whomsoever they are operated ;

(b) to obtain such periodic or specific information from any local body and operating agency, as the Corporation may deem necessary ;

(c) to provide training for its own personnel as well as for employees of the local bodies ;

(d) to prepare and carry out schemes for water supply and sewerage ;

(e) to lay down with the prior approval of the State Government the schedule of fees and other charges for all kinds of services rendered by the Corporation to the State Government, local bodies, institutions, or individuals ;

(f) to enter into contract or agreement with any person or persons as the Corporation may deem necessary, for performing its duties and discharging its functions under this Act ;

(g) to adopt its own budget annually ;

(h) to approve with the prior approval of the State Government tariffs for water supply and sewerage services applicable to respective local areas comprised within the jurisdiction of the Corporation and such local bodies as have entered into an agreement with the Corporation ;

(i) to manage all its affairs so as to provide the people of the area within its jurisdiction with wholesome water and, where feasible, efficient sewerage service ;

(j) to take such other measures as may be necessary to ensure water supply in times of any emergency;

(k) to acquire, possess and hold land and other property and to carry any water or sewerage works through, across over, on, under any highway, road, street, or place and, after reasonable notice in writing to the owner or occupier, into, through, over or under any building or land;

(l) to extract water from any natural source and dispose of waste water ;

(m) to raise, borrow or secure money on such terms and conditions as may be expedient, and in particular by way of loans and advances, deposits and issue of debentures and obtain subventions or mortgagers from public institutions like the Life Insurance Corporation of India, Banks and any International Organisations or from the State and Central Government, for drinking water and sewerage schemes or any other schemes relating to environmental engineering services or for improvement of sanitation;

(n) to receive grants from the State Government, the Central Government and the local bodies for water supply and sewerage or any other sanitation improvement schemes;

(o) to repay instalment of loans and pay interest on the principal thereof to the lenders as per mutually agreed terms and conditions;

(p) to advance loans to the local bodies or Government for their water supply and sewerage schemes on such terms and conditions as may be specified by the Corporation;

(q) to recover from the local bodies or Government principal and interest thereon in respect of loans advanced to them by the Corporation;

(r) to incur such expenditure as the Corporation may deem necessary for performing its duties and functions under this Act;

(s) to exercise such other powers as are conferred on the Corporation under other provisions of this Act.

16 Powers of the Corporation to give directions and to call for returns, reports, etc —(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Corporation may give such directions to any local body, with regard to the implementation of any water supply or sewerage scheme financed by it under clause (a) of section 14, as it thinks fit, and such body shall be bound to comply with such directions.

(2) In case any local body is aggrieved by any such direction or experiences any difficulty in complying with the same, it shall refer the matter to the State Government whose decision thereon shall be final.

(3) The Corporation shall have power to call for any return; statement of account, report, statistics or other information from any local body or other body or individual, which is required by it for the exercise of its powers and performance and discharge of its duties and functions under this Act, and such body or individuals shall be bound to furnish such information.

17. Supervision and Centage charges:—The Corporation may include in the cost of any scheme or work, the execution or further execution whereof is undertaken under clause (a) of section 14, supervision and centage charges at such rate; not exceeding such limit as may be prescribed as it may determine under clause (e) of sub-section (2) of section 15.

CHAPTER III

Vesting of Property, assets, liabilities and Obligations and Transfer of Employees

18. Vesting and transfer of property of the Corporation:— (1) From such different dates as may be specified, from time to time,

by the State Government (hereinafter in this section referred to as "the appointed date"):--

(a) the properties and assets (including water works, buildings, laboratories, stores, vehicles, furniture and other furnishing) which immediately before the appointed date were vested in the State Government for the purpose of the Public Health Engineering Department, Rajasthan shall vest in, and stand transferred to the Corporation, and

(b) the rights, liabilities and obligations of the State Government, whether arising out of any contract or otherwise, pertaining to the said service, shall be the rights; liabilities and obligations of the Corporation.

(2) Such properties, assets, rights, liabilities and obligations shall be valued in such manner as the State Government may determine.

(3) All suits and other legal proceedings with respect to the matters referred to above, instituted, or to be instituted or defended, by or against the State Government, before the appointed date, may be continued, or instituted, or defended by or against the Corporation.

19. Decision of the State Government on the vesting of property to be final:—Where any doubt or dispute arises as to whether any property or assets has vested in the Corporation under section 18 or any rights, liabilities or obligations have become the rights, liabilities and obligations of the Corporation under that section, such doubt or dispute shall be referred to the State Government, whose decision shall be final.

20. Vesting of existing water and sewerage services in the Corporation:—(1) Notwithstanding any thing contained in any law for the time being inforce, the Corporation may, at any time, with the previous approval of the State Government, take over any water supply and sewerage services for maintenance or augmentation or improvement; from any local body, and in such cases:—

(a) all the existing water supply and sewerage services, sewage works and sewage farms, including as the case may be, all plants, machineries, water works, pumping stations, filter beds, water mains and public sewers in, along, over or under any public street, and all buildings, lands and other works, materials, stores and things appertaining thereto, belonging to or vested in that local body;

(b) so much of the sub-soil appertaining to the said water mains and sewers as may be necessary for the purpose of enlarging deepening or otherwise repairing or maintaining any such water mains and sewers or any pipes and other appliances and fittings connected with such water supply and sewerage services and sewage works and sewage farms; and

(c) all rights; liabilities and obligations of such local body relating to the things mentioned in clauses (a) and (b) including the right to recover arrears of water tax and sewerage tax, by whatever name called, and of any cost or fees or charges relating to water supply and sewerage services and also including liabilities arising from any loans advanced by Government or any other person to the said local body for the things aforesaid, other than loans diverted to or utilised for purposes other than those referred to in clauses (a) and (b);

shall on such date as may be specified by the Corporation, stand transferred to and vested in the Corporation and be subject to its control.

(2) Such properties, assets, rights, liabilities and obligations shall be valued in such manner as State Government may determine.

(3) Where any doubt or dispute arises as to whether any property or asset has vested in the Corporation under sub-section (1) or any rights, liabilities or obligations have become the rights, liabilities

or obligations of the Corporation under this section, such doubt and dispute shall be referred to the State Government whose decision shall be final and binding on the Corporation and the local body concerned.

(4) For taking over any properties or assets of the local body, the Corporation shall pay to that body such amount as may be mutually agreed upon. In the absence of any such agreement, the State Government shall determine the amount to be paid to the local body on the basis of the valuation made under sub-section (2) and after taking into consideration the statutory duty of the local body to provide water supply and sewerage services, the grants received by the local body, from time to time, the outstanding loan liabilities of the local body, and such other relevant factors. The decision of the State Government shall be final and binding on both parties.

21. Corporation to assume obligations in respect of matters to which this Act applies for water works taken over from local bodies:— In respect of water works taken over from a local body by the Corporation, all debts and obligations incurred, all contracts entered into, all matters and things engaged to be done, by, with or for any local body prior to taking over the water works by the Corporation, shall be deemed to have been incurred, entered into or engaged to be done by, with or for the Corporation, and all suits or other legal proceedings instituted or which might, but for transfer and vesting under sub-section (1) of section 20, have been instituted or defended by or against the local body, may be continued or instituted or defended by or against the Corporation.

22. Co-ordination of activities of the Corporation and other local bodies:—If the State Government is of the opinion that it is in the public interest that the Corporation and other local bodies having jurisdiction over contiguous areas should co-ordinate their activities in relation to water supply services or sewerage services or both, it may issue such directions to the Corporation and the other local bodies concerned as it may think fit, and it shall be the duty of the Corporation and the other local bodies to comply with such directions.

23. Transfer of Government Employees to the Corporation:—(1) On and after the establishment of the Corporation, the S...e Government may, from time to time, direct that the services of such of the existing officers and servants of the State Government in the public Health Engineering Department, who in its opinion, are rendered surplus to its requirements, shall stand terminated and their posts shall stand abolished, from such date as may be specified by it (hereinafter in this section referred to as "the appointed date"), and shall on that date (which may be different for different officers and servants) become the officers or servants of the Corporation.

(2) Every permanent or temporary employee of the public Health Engineering Department in respect of whom a direction is issued under sub-section (1) shall, on and from the appointed date, be a permanent or temporary employee of the Corporation, as the case may be, against a permanent or temporary post, which shall stand created in the establishment of the Corporation with effect from the appointed date.

(3) Any officer or servant so transferred shall hold his office under the Corporation by the same tenure, at the same remuneration and upon the same other conditions of service and with the same rights and privileges as to pension, gratuity, provident fund and other matters as he would have held on the appointed date if this Act had not come into force. Any service rendered by him under the State Government shall be deemed to be service rendered under the Corporation. He shall continue in service under the Corporation until his employment under the Corporation is duly terminated or his remuneration or other conditions of service are duly revised or altered by the Corporation in pursuance of the law which for the time being governs his conditions of service :

Provided that, the conditions of service applicable immediately before the appointed date to the case of any such officer or servant shall not be varied to his disadvantage, except with the previous approval of the State Government.

(4) The sums standing to the credit of the employees referred to in sub-section (1) in any person, provident fund, gratuity or other like funds constituted for them shall be transferred by the State Government to the Corporation alongwith any accumulated interest due till the appointed date and with the accounts relating to such fund. On and after the appointed date, the Corporation shall, to the exclusion of the State Government, be liable for payment of pension, provident fund, gratuity or other like sums as may be payable to such employees at the appropriate time in accordance with the conditions of their service.

(5) Notwithstanding anything contained in the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act XIV of 1947), or in any other law for the time being in force, the transfer of services of any employee to the Corporation under sub-section (1) shall not entitle any such employee to any compensation under that Act or such other law and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or authority.

(6) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to any employee who, by notice in writing given to the State Government, within two months from the appointed date or such extended time as the State Government may, by general or special order, specify, intimates his intention of not becoming or continuing as an employee of the Corporation.

(7) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections :—

(a) no person employed in the Public Health Engineering Department against whom any disciplinary proceeding is pending or to whom any notice or order of termination of his services or compulsory retirement has been issued before the date of commencement of this Act shall be transferred to the Corporation, and such person may be dealt with after the said date in such manner and by such authority as the State Government may, by general or special order, specify in this behalf;.

(b) if the services of any employee of the State Government stand transferred under sub-section (1) to the Corporation, the Corporation shall be competent after such transfer, to take such disciplinary or other action as it think fit against or in respect of such employee, having regard to any act or omission or conduct or record of such employee while he was in service of the State Government.

CHAPTER IV

Contract, Finance, Accounts and audit

24. Execution of Contracts etc:—Every contract or assurance of property on behalf of the Corporation shall be in writing and executed by such authority or officer and in such manner as may be provided by regulations.

25. Corporation Fund:—The Corporation shall have its own fund to be called "the Corporation Fund", which shall be deemed to be a local fund and to which shall be credited all moneys received by or on behalf of the Corporation, otherwise than by way of loans.

26. Other funds of the Corporation:—(1) The Corporation shall also have another fund to be called "the loan fund", which shall also be deemed to be a local fund and to which shall be credited all moneys received by or on behalf of the Corporation, by way of loans.

(2) Without prejudice to the provisions of section 25 or sub-section (1) of this section, the Corporation may, with the previous approval of the State Government, constitute such other funds as may be necessary for the efficient performance of its duties and discharge of its functions under this Act.

(3) Except as otherwise directed by the State Government, all moneys and receipts specified in the foregoing provisions and forming part of the funds of the Corporation shall be deposited in the Reserve Bank of India or in any nationalised bank or other Scheduled Bank or invested in such securities as may be approved by the State Government.

27. General principles for the Corporation's finance:—The Corporation shall not, as far as practicable, and after taking credit for any grant or subvention from the State Government under section 28, carry on its operations under this Act, at a loss.

28. Grants and subventions to the Corporation:—The State Government may, under appropriation duly made in this behalf, from time to time, make recurring and non-recurring grants and subventions to the Corporation for the purposes of this Act on such terms and conditions as the State Government may determine.

29. Loans to the Corporation:—The State Government may, from time to time, advance loans to the Corporation on such terms and conditions, not inconsistent with the provisions of this Act, as the State Government and the Corporation may agree upon.

30. Initial contribution of Government to the Corporation Funds:—Under appropriation duly made in this behalf, the State Government may make an initial contribution to the Corporation Funds of rupees one crore or such lesser sum as it thinks fit.

31. Power to borrow and re-lend:—(1) The Corporation may, from time to time, with the previous sanction of the State Government and subject to the provisions of this Act and to such conditions as the State Government may, by general or special order impose, borrow any moneys required for the purposes of this Act, by making arrangements with the banks or other bodies or institutions approved by the State Government for this purpose.

(2) The Corporation may advance any part of such borrowing to any local bods or any other department of the State Government for the performance of its duties and discharge of its functions relating to water supply and sewerage services, on such terms and conditions as the Corporation may determine.

32. Depreciation Reserve:—The Corporation shall create a depreciation reserve and make annual provision therefor in accordance with such principles as may be prescribed.

33. Government as Guarantor:—The State Government may guarantee the re-payment of any loan and payment of interest on all or any of the loans given or transferred to the Corporation for the purposes of this Act.

34. Annual Financial Statements, Accounts and Audits:—(1)

(a) In February of each year the Corporation shall submit to the State Government a statement in the prescribed form of the estimated Capital and Revenue receipts and expenditure for the ensuing year.

(b) The said statements shall include a statement of the salaries of Directors, officers and employees of the Corporation and of such other particulars as may be prescribed.

(c) The State Government shall as soon as may be after the receipt of the said statement cause it to be laid on the table of the House of the State Legislature, and the said statement shall be open to discussion therein, but shall not be subject to vote.

(d) The Corporation shall take into consideration any comments made on the said statement in the State Legislature.

(e) The Corporation may at any time during the year in respect of which a statement under clause (a) has been submitted, submit to the State Government a supplementary statement, and all the provisions of this sub-section shall apply to such statements as they apply to such statement under the said clause.

(2) The Corporation shall cause to be maintained such proper books of account and other books in relation to its accounts and prepare the balance sheet in such form and manner as the regulations may require.

(3) The accounts of the Corporation shall be audited by such auditor, in such manner and at such times, as the State Government

may, by general or special order, direct. The auditor so appointed shall have such powers of requiring the production of documents and the furnishing of information respecting such matters, and shall have such powers in respect of dis-allowance and surcharge as may be prescribed.

(4) The accounts of the Corporation as certified by the auditor together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government, who may issue such directions to the Corporation as it may deem fit, and the Corporation shall comply with such directions.

(5) The State Government shall cause the accounts of the Corporation to be published in such manner as it thinks fit.

CHAPTER V

Taxes, fees and charges

35. Cost of Water:—(1) The Corporation shall with the prior approval of the State Government and by notification in the official Gazette, fix the cost of water to be supplied according to volume and also the minmum cost to be charged in respect of each connection.

(2) The Corporation may, in lieu of charging the cost of water according to the volume, accept from any consumer a fixed sum or a flat rate for a specified period on the basis of expected consumption of water during that period.

36. The cost of disposal of waste Water :—(1) The Corporation shall with the prior approval of the State Government and by notification in the official Gazette, fix the cost of disposal of waste water according to its volume (which may be such percentage of the volume of total water supplied to the consumer, as may be prescribed), and also the minimum cost to be charged in respect of such disposal.

(2) The corporation may, in liew of charging the cost of disposal of waste water according to the basis state in sub-section (1),

accept, from any consumer, a fixed sum for a specified period on the basis of expected disposal of waste water during that period.

37. **Meter Rent and fees for services:**—(1) The Corporation may provide water meters and charge such rent for the meters as may be provided in the bye-laws.

(2) The Corporation may charge fees for connection, disconnection, reconnection of any water supply or sewer or testing or supervision or for any other service rendered or work executed or supervised, at such rates may be provided by the bye-laws.

38. **Desposits :**—The Corporation, may be bye-laws, provide for requiring any consumer or class of consumers to disposit such sums as may be specified therein, as security for prompt payment of its dues and due performance of the conditions subject to which services are rendered to them. It shall be lawful for the Corporation to recover its dues from the amount so deposited.

39. **Recovery of sums due to the Corporation :**—Any sum due to the corporation on account of cost of water, cost of disposal of waste water,. meter rent fees, charges, taxes, development charges or otherwise under -this Act, shall, without prejudice to any other mode of recovery, be recoverable as arrears of land revenue.

40. **Charges for general suppty of water and sewerage services:**—(1) The Corporation shall levy for supply of water and sewerage services to the public in general within a local area :—

(a) where the area is covered by water supply services by the Corporation, water charges, and

(b) where the area is covered by the sewerage services of the Corporation, sewerage charges.

(2) The charges mentioned in sub-section (1) shall be levied at such rate and on such basis as the State Government may, from time to time, after considering the recommendations of the Corporation, by

notification in the official Gazette, declare and shall be recoverable from the local body of the area.

(3) Where the local body which is liable to pay the water supply and/or sewerage charges under sub-section (2) fails to do so, such charges without prejudice to the right of the Corporation to recover the same from the local body concerned shall be deducted by the State Government from any grant-in-aid to be paid by it to the local body and shall be credited to the Corporation Fund.

41. Recovery of Development charges In Urban Areas: The cost of investigation, preparation and execution of any scheme undertaken or to be undertaken by the Corporation in an urban area shall be recoverable at such rate, and in such manner as may be prescribed—

(a) in developed area, for the owner of permises,

(b) in new developing area from the agency responsible for the development.

CHAPTER VI

Water Supply

42. Definition of supply of water for domestic purposes:—The supply of water for domestic purposes under this Act means supply for any purpose, except the following, namely:—

(a) for any trade, manufacture or business;

(b) for gardens (excluding kitchen and domestic gardens or for purposes of irrigation;

(c) for building purposes, including construction of streets;

(d) for public fountains, swimming pools, or tanks or for any ornamental or mechanical purposes;

(e) for the consumption and use at a restaurant or by inmates of a hotel, boarding house or residential club;

(f) for the consumption and use by persons restoring to theatres and cinemas;

(g) for watering streets; or

(h) for washing vehicles where they are kept for sale or hire.

43. Water supply for domestic purposes not to be use for non-domestic purposes :—No person shall, except in such circumstances or subject to such conditions as may be provided by the bye-laws, use or allow to be used water supplied by the Corporation for domestic purposes for any other purpose.

44 Licensed plumbers :—(1) No person other than a plumber licensed by the Corporation shall execute any work unless it is a work of a trival nature in respect of a water connection and no person shall permit any such work to be executed by a person other than a licensed plumber.

(2) When any work is executed in contravention of the provisions of sub-section 1) such work shall be liable to be dismantled at the discretion of the Corporation.

45. Prohibition of wastage of water :—(1) No owner or occupier of any premises to which water is supplied by the Corporation shall cause or suffer any water to be wasted or cause or suffer the service pipe or any tap or other fitting or work connected therewith to remain out of repair so as to cause wastage of water.

(2) Whenever the Corporation has reason to believe that as a result of defect in a service pipe or tap or other fitting or work connected therewith water is being wasted the Corporation may, by written notice require the consumer to repair and make good the defect whithin such time as may be specified.

(3) If such repair is not carried out within the time speciffied, the Corporation may, without prejudice to any action against the consumer under any other provision of this Act cause such repair to be made. The cost of such repairs shall be realised from the consumer.

46. Power to cut off waste supply :—(1) The Corporation may

cut off the water supply (except the water supply provided for general public) from any premises.

(a) if any fee, rental, cost of water or any charge or other sum due under this Act, or the rules, regulations or bye-laws made thereunder is not paid within a period of fifteen days after service of a bill for the same; or

(b) if, after the receipt of a written notice from the Corporation requiring him to refrain from so doing, the consumer continues to use the water or to permit the same to be used in contravention of the provisions of this Act or any rules or regulations or bye-laws; or

(c) if the consumer damages or causes to be damaged the water meter or any connection pipe or ferule; or

(d) If the consumer refuse to admit any officer or servant of the Corporation duly authorised in this behalf into the premises which he proposes to enter for the purpose of executing any work of placing or removing any apparatus or of making any examination or enquiry in connection with the water supply or prevents any such officer or servant from executing any work or placing or removing any apparatus or making such examination or inquiry; or

(e) if the service pipe or any tap or other fitting or work connected therewith is found on examination by an officer or servant of the Corporation duly authorised in this behalf to be out of repair to such extent as to cause wastage or contamination of water and immediate prevention thereof is necessary; or

(f) if the consumer causes or allows to be caused the service pipe or any tap or other fitting or work connected therewith to be placed, removed, repaired or otherwise interfered with, in contravention of the provisions of this Act or of the rules or regulations or bye-laws; or

(g) if, by reason of leakages in the service pipe or any tap or other fitting or work, damage is caused to a public street and immediate prevention thereof is necessary.

(2) No action taken under, or in pursuance of this section shall relieve a person from any penalty or liability which he may otherwise have incurred.

(3) The Corporation may re-connect the supply of water disconnected under sub-section (1) on payment of such charges and on such terms and conditions as may be provided by bye-laws.

47. Prohibition of certain other acts:—(1) No person shall—

(a) wilfully obstruct any person acting under the authority of the Corporation in setting out of the lines of any work or pull up or remove any pillar post of stay fixed in the ground for the purpose of setting out the lines of such work, or deface or destory any work made for the said purpose; or

(b) wilfully or negligently break, injure, turn on, open, close, shut off or otherwise interfere with any lock, cock, valve, pipe, mater or other work or apparatus belonging to the Corporation; or

(c) unlawfully obstruct the flow of or flush, draw off, or divert, or take water from any water works belonging to the Corporation any water course by which any such water is supplied; or

(d) obstruct any officer or servant of the Corporation in the performance and discharge of his duties and functions under this chapter or refuse or wilfully neglect to furnish him with means necessary for the making of any entry, inspection examination or enquiry thereunder in relation to any water works; or

(e) bathe, in, at or upon any water work, or wash, throw or cause to enter therein any animal or throw any rubbish, dirt or filth into any water works, or wash or clean therein any cloth, wool or leather or the skin of any animal or cause water of any sink or drain or any steam engine or boiler or any other polluted water to turn or be brought into any water works, or do any other act whereby the water in any water works belonging to the Corporation is fouled or likely to be fouled.

(2) Nothing in clause (b) of sub-section (1) shall apply to a consumer closing the stop-cock fixed on the service pipe supplying water to his premises so long as he has obtained the consent of any other consumer whose supply by affected thereby.

CHAPTER VII

Sewerage

48. Right of owner or occupier to obtain sewer connection:—The owner or occupier of any premises shall be entitled to empty sewage of the premises into a sewer of the Corporation, provided that before so, he—

(a) obtained written permission of the Corporation and pays connection fee and other charges in accordance with the bye-law; and

(b) complies with such other conditions as may be provided by the bye-laws.

49. Power to require owner to have sewer connection:—Where any premises are, in the opinion of the Corporation, without sufficient means of effectual disposal of sewage and the sewer or the Corporation is situated at a distance of not more than fifty meters from any part of the premises, the Corporation may, by written not ce, require the owner of the said premises to have sewer connection as provided by bye-laws. Where an owner, has been required to have sewer connection and he

fails to do so, he shall be liable to pay sewerage charges in accordance with a section 36 of this Act.

50. Prohibition of connection with sewer without permission:—No person shall, without the permission of the Corporation make or cause to be made any connection or communication with any sewar of the Corporation.

51. Prohibition of construction of private street or building over sewer without permission:—No person shall, without the permission of the Corporation, construct any private street, building or other structure on any sewer of the Corporation.

52. Power to affix shaft etc. for ventilation of sewer or cess-pool:- The Corporation may, for the purpose of ventilating any sewer or cess-pool, whether vested in the Corporation or not, erect upon any premises or affix to the outside of any building, or to any tree any shaft or pipe as may appear to it to be necessary.

53. Power to examine and test sewer etc. believed to be defective:- (1) Where it appears to the Corporation that there are reasonable grounds for believing that a private sewer or cess-pool is in such condition as to be prejudicial to public health or to be a nuisance or that a private sewer communicating directly or indirectly with a sewer of the Corporation is so defective as to admit sub-soil water or grit or other materials the Corporation may examine its conditions and for that purpose may apply any test not being a test by water under pressure and if it deems it necessary, open the ground.

(2) If on examination, the sewer or cess-pool is found to be in proper condition, the Corporation shall, as soon as possible, reinstate any ground which has been opened by it and determine and pay compensation for the damage caused by it.

54. Prohibition of certain othes acts:—No person shall—

(a) wilfully obstruct any person acting under the authority of the Corporation under this Chapter, in setting out lines or

any works or pull up or remove any pillar post or stay fixed in the ground for the purpose of setting out lines of such works, or deface or desfory any works made for the said purpose; or

(b) wilfully or negligently break, injure, turn on or open, close shut off, or otherwise interfere with any lock, value, pipe, or other work or apparatus belonging to the Corporation and pertaining to its duties and functions under this Chapter; or

(c) unlawfully obstruct the flow of, or flush, draw of, or divert or take sewage from any works belonging to the Corporation; or

(d) obstruct any officer or servant of the Corporation in discharge of his duties under this Chapter or refuse or wilfully neglect to furnish him with the means necessary for the making of any entry, inspection, examination or enquiry thereunder in relation to any sewage works.

55. Power of entry, survey etc:—(1) Any officer or servant of the Corporation authorised by it in that behalf, may, with or without assistants or workmen, enter into or upon any premises in order—

(a) to make any inspection, survey, measurement, valuation, or enquiry;

(b) to take levels;

(c) to dig or bore into sub-soil;

(d) to set out the boundaries and intended lines of work;

(e) to make such levels, boundaries and lines by placing marks and cutting trenches; or

(f) to do any other thing necessary for the purposes of this Act or any rules or regulations or bye-laws :—

Provided that in exercising the powers under this sub-section due regard shall be paid by the officer or servant of the Corporation

concerned to the social and religions customs of the occupants of the premises.

(2) When any person is entitled to enter into or upon any premises in exercise of the powers under sub-section (1) he may also enter in similar manner into or upon any adjoining premises for any work authorised by or under this Act or for the purposes of depositing therein any soil grindstone or other materials or for obtaining acces to such work or for any other purpose connected with the execution of the same.

(3) It shall be lawful for any authorised officer or servant to make any entry into any place to open or cause to be opened any door, gate or other barrier —

(a) if he considers the opening thereof necessary the purpose of such entry; and

(b) if the owner or occupier is absent, or being present, refuses to open such door, gate or barrier.

56. Power to disinfect tanks, pools and wells :— Any officer or servant authorised by the Corporation in that behalf may have any tank, pool or well, cleaned or disinfected after notice to the owner or occupier, if any, when it appears that such cleaning or disinfection will prevent or check the spread of any dangerous disease, the cost of cleaning or disinfection shall be recoverable by the Corporation from the owner or occupier of such tank, pool or well.

CHAPTER VIII

Penalties and Procedure

57. General Penalty :— Whoever contravenes any of the provisions of this Act or of any rule or bye-laws, or fails to comply with any notice, order or requisition issued under this Act or any rule or bye-law shall, on conviction, be punished with fine which may extend to one thousand rupees and with further fine which may extend to fifty rupees

for ever day on which such contravention or failure continues after the first conviction.

58. Cognizance of offences :—No court shall take cognizance of any offence under this Act, except on the complaint of the Corporation, made within six months next after the commission of the offence.

59. Offences by companies :—(1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person, who at the time of the offence was committed was responsible to the company for the conduct of its business, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2). Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or, that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation :—For the purpose of this section ;—

(a) Company means any body corporate and includes firm or other association of individuals, and

(b) director in relation to a firm means a partner in the firm.

60. Compounding of offences :—(1) The Managing Director or any other officer of the Corporation authorised by it by a general or special order in that behalf may, either before or after the institution

of proceedings for any offence punishable under this Act, accept, from any person charged with such offence, by way of compensation for the offence, a sum not exceeding two thousand rupees, as he thinks proper.

(2) On payment of such sum, no further proceedings shall be taken against the said person in respect of the same offence.

CHAPTER IX

External Control

61. Directions to the Corporation on questions of policy :—(1) In the performance of its duties and discharge of its functions, the Corporation shall be guided by such directions on questions of policy as may be given to it, from time to time, by the State Government.

(2) If any question arises whether any matters is or is not a matter as respects which the State Government may issue a direction under sub-section (1), the decision of the State Government shall be final.

62. Annual report, statistics, returns and other information by the Corporation:—The Corporation shall, as soon as may be after the end of each financial year, prepare and submit to the State Government, before such date and in such form as the State Government may direct, a report giving an account of its activities during the previous financial year, and the report shall also give an account of the activities, if any, which are likely to be undertaken by the Corporation in the next financial year. The State Government shall cause every such report to be laid berore the House of the State Legislature as soon as may be after it is received by the State Government.

(2) The Corporation shall also furnish to the State Government, at such times and in such form and manner as the State Government may direct, such statistics and returns and such particulars in regard to any proposed or existing activities of the Corporation or any other

matter under the control of the Corporation as the State Government may, from time to time, require.

CHAPTER X

Miscellaneous

63. Duty of local bodies and police to assist:—(1) All local bodies shall render such help and assistance and furnish such information to the Corporation, and shall make available for the inspection and examination of (and if necessary, preparation of copies from) such record, maps, plans, and other documents as the Corporation may require to perform and discharge its duties and functions under tihs Act.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1) every local body shall, on demand make available to the Corporation on payment of reasonable fees, certified copies or extracts from assessment lists and other relevant documents in connection with assessment of annual value of premises and levy of fees and charges.

(3) Without prejudice to other provisions of this Act and notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force under which any local body is constituted, the State Government may give to any loeal body such directions as in its opinion may be necessary or expedient for enabling the corporation, to perform its duties and discharge its functions under this Act, and thereupon it shall be the duty of the local body to comply with such directions.

(4) It shall be the duty of every police officer—

(a) to co-operate with the Corporation for carrying into effect and enforcing the provisions of this Act or any rule or regulation or scheme made thereunder;

(b) to communicate without delay to the proper officer or servant of the Corporation any information which such

police officer receives, of a design to commit, or of the commission of, any offence against this Act or any rule or regulation or scheme made thereunder; and

(c) to assist, the Corporation or any officer or servant thereof reasonably demanding the aid of such police officer for the lawful exercise of any power vesting in the Corporation or any such officer or servant under this Act or any rule or regulation or scheme made thereunder.

(5) Any police officer who omits or refuses or neglects to perform any duty imposed on him by this Act shall be deemed to have committed the offence under section 29 of the Police Act, 1861 (Central Act 5 of 1861).

64. General Power to pay compensation:—In any case not otherwise expressly provided for in this Act, the Corporation may pay reasonable amount as compensation to any person who sustains damage by reason of the exercise of any power vested by or under this Act in the Corporation.

65. Protection for acts done in good faith:—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government, the Corporation or the directors or any officer or servant of the State Government or of the Corporation for anything which is in good faith done or purported or intended to be done in pursuance of this Act or any rules, regulations or bye-laws made thereunder.

CHAPTER XI

Rules, Regulations and Bye-Laws

66. Power to make rules:—(1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a total period of fifteen days, which may be comprised in one session or in two or more successive, sessions and if befor the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, and notifies such decision in the official Gazette, the rule shall, from the date of publication of such notification have effect only in such modified form, or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudic to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

67. **Regulations:**—(1) The Corporation may, with the previous approval of the State Government, make regulations consistent with this Act and the rules, for the administration of its affairs.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the summoning and holding of meetings of the Corporation and of the committees appointed by it; the time and place where such meetings are to be held, the conduct of business at such meetings and the number of persons necessary to form a quorum thereat;

(b) the recruitment and the salaries and allowances and other conditions of service of employees of the Corporation;

(c) the powers and duties of the employees of the Corporation;

(d) The management of the property of the Corporation;

(e) the execution of contracts and assurances of property on behalf of the Corporation and authentication of orders and instruments of the Corporation;

(f) the limits upon which the Managing Director shall be competent to incur recurring or non-recurring expenditure in any financial year;

(g) the maintenance of accounts and the preparation of balance sheet by the Corporation;

(h) the procedure for carrying out the duties and functions of the Corporation under this Act;

(i any other matter for which provision is to be, or may be; made by regulations.

(3) Until any regulations are made by the Corporation under sub-section (1) any regulations which may be made by it may be made by the State Government, and any regulations so made may be altered or rescinded by the Corporation in exercise of its power under sub-section (1).

68. Bye-laws:—The Corporation, may with the previous approval of the State Government. make bye-laws consistent with this Act and the rules for carrying out the purposes of this Act in respect of any matter affecting the general public.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such bye-laws may provide for all or any of the following matters, namely—

(a) the terms and conditions for supply of water for domestic or other purposes;

(b) the installation of maters or the transfer of their connection, and their use, maintenance, testing, disconnection and reconnection, the fees, rent and other charges in respect thereof, including the furnishing of security by the consumer and matters connected therewith;

(c) the fees, rent and other charges to be paid for connection with a sewer of the Corporation and other terms and conditions for such connections;

(d) any other fees and charges to be paid to the Corporation for services to the consumer;

(e) any other matter for which provision is to be, or may be made, in bye-laws.

रणजीतमल खिवसरा,
Secretary to the Government

———

Section Officer,
Law (Codification) Department
Govt. Secretariat,
Rajasthan, JAIPUR.

[First Published in the Rajasthan RajPatra, Extra-ordnary
Part IV-(A). dated 12-12-79]

विधि विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर, 12, 1979

संख्या एफ. 2 (15) विधि/79.—राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 10 दिसम्बर, 1979 ई० को प्राप्त हुई एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

राजस्थान जल-प्रदाय तथा सीवरेज निगम अधिनियम, 1979.

(अधिनियम संख्या 15 सन् 1979)

[राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 10 दिसम्बर, 1979 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में जल-प्रदाय तथा सीवरेज सेवाओं के द्रुत विकास तथा समुचित विनियमन हेतु तथा अन्य पर्यावरिक अभियांत्रिक सेवाओं के निष्पादन हेतु जल-प्रदाय तथा सीवरेज निगम स्थापित करने का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :—

अध्याय 1.

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान जल-प्रदाय तथा सीवरेज निगम अधिनियम, 1979 है।

(2) छावनी क्षेत्रों को छोड़ कर इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर होगा।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राज्य-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी, तथा किसी भी उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख के प्रतिनिर्देश का अर्थ उस उपबन्ध के प्रारम्भ होने की तारीख के प्रतिनिर्देश होगा।

2. परिभाषायें—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,

(1) "उपविधियों" से इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियां अभिप्रेत है

(2) "निगम" से धारा 3 के अधीन स्थापित राजस्थान जल-प्रदाय तथा सीवरेज निगम अभिप्रेत है;

(3) "मल-कूप" के अन्तर्गत कोई ऐसी सलदट टंकी या अन्य टंकी भी है जो किसी परिसर से निकलने वाले दूषित पदार्थ को ग्रहण करने या उसके निस्तारण के लिए हो;

(4) "अध्यक्ष" से निगम का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(5) "संचारण पाइप" से उसकी समस्त फिटिंग सहित ऐसा कोई पाइप या पाइप यंत्र अभिप्रेत है, जिसके द्वारा प्रनाड़ (मेन) से किसी परिसर को जल-प्रदाय किया जाता हो और इसके अन्तर्गत संयोजक पाइप, सेवा पाइप, मीटर या अन्य फिटिंग भी है;

(6) "संयोजक पाइप" से जोड़ चूड़ी (फेरूल) से रोक टोंटी तक ऐसा कोई बस पाइप अभिप्रेत है जो, यथास्थिति, स्थानीय निकाय या निगम के प्रनाड़ को सेवा पाइप से जोड़ता हो;

(7) "उपभोक्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे यथास्थिति, स्थानीय निकाय या निगम से किसी भी जल-प्रदाय या सीवरेज सेवा का फायदा मिलता हो;

(8) "निदेशक" से निगम का निदेशक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निगम का अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक भी है;

(9) "घरेलू सीवेज" से आवासीय परिसरों, भोजनालयों तथा निवास गृहों, छात्रावासों, होटलों, सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों तथा ऐसे सभी स्थापनों से जो किसी व्यापार या उद्योग के भाग न हो, निकलने वाले और वैयक्तिक तथा सामान्य मानव क्रियाकलापों से जैसे कि पानी पीने, नहाने, प्रक्षालन, धोने तथा खाना पकाने से उत्पन्न क्षेप्य जल अभिप्रेत है;

(10) "नाली" से मलनाला, सुरंग, पाइप, खाई, मलनाली (गटर), या जलसरणी अथवा जलकुण्ड (सिस्टर्न), फ्लश टंकी, मलटंकी (सेप्टिक टैंक) अथवा कोई ऐसी अन्य युक्ति अभिप्रेत है जो सीवेज, दुर्गन्धित पदार्थ, दूषित जल गन्दगी, क्षेप्य जल या अवभूमि जल को बहा ले जाने अथवा शोधन के लिए हो तथा इसके अन्तर्गत कोई पुलिया, सवातन कूपक या पाइप अथवा अन्य उपकरण या फिटिंग जो ऐसी नाली से जुड़ी हो और कोई निस्कासक (इजेक्टर) सम्पीड़ित वायु प्रनाड़, बन्द किया हुआ सीवेज प्रनाड़ और कोई विशेष मशीनरी अथवा साधित्र भी है जो किसी स्थान से सीवेज या दुर्गन्धित पदार्थ को उठाने, एकत्र करने, निकालने या हटाने के लिए हों;

(11) "जोड़ चूड़ी" से ऐसी जोड़ चूड़ी अभिप्रेत है जो संयोजक पाइप को प्रनाड़ से जोड़ती हो;

(12) "स्थानीय क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो किसी स्थानीय निकाय की अधिकारिता के अन्तर्गत हो;

(13) "स्थानीय निकाय" से कोई नगरपालिका बोर्ड, समिति, निगम या परिषद, जिला बोर्ड, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायत का कोई ऐसा अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है जिसको किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियन्त्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से अधिकार हो या जिसका नियन्त्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा सौंपा गया हो और इसके अन्तर्गत कोई नगर सुधार न्यास भी है ;

(14) "जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग" से राजस्थान सरकार की जल-प्रदाय तथा सीवरेज योजनाओं के चलाने तथा निष्पादन के लिए काम करने वाला विभाग अभिप्रेत है,

(15) "प्रनाड़" से यथास्थिति स्थानीय निकाय या निगम द्वारा व्यष्टिक उपभोक्ताओं को जल प्रदाय करने वाले पाइप से भिन्न जल का सामान्य प्रदाय करने के प्रयोजन के लिए बिछाया गया पाइप अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसे पाइप के सम्बन्ध में प्रयुक्त कोई साधित्र भी है;

(16) "प्रबन्ध निदेशक" से निगम का प्रबन्ध निदेशक अभिप्रेत है;

(17) "अशासकीय निदेशक" से ऐसा निदेशक अभिप्रेत है जो पदेन निदेशक न हो;

(18) किसी परिसर के संबंध में, "अधिभोगी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:—

(क) कोई व्यक्ति जो तत्समय ऐसे परिसर के संबंध में स्वामी को किराया या उसका कोई भाग देता हो अथवा उसका देनदार हो;

(ख) स्वामी जिसके अधिभोग में ऐसे परिसर हों;

(ग) ऐसे परिसर का किरायेदार जो किराया देने से मुक्त हो;

(घ) अनुज्ञप्तिधारी जिसके अधिभोग में ऐसा परिसर हो; और

(ङ) कोई व्यक्ति जो ऐसे परिसर का उपयोग और अधिभोग करने के संबंध में स्वामी को क्षतिपूर्ति का देनदार हो;

(19) किसी परिसर के संबंध में "स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उक्त परिसर का किराया लेता हो अथवा जो उसका किराया लेने का हकदार होगा यदि परिसर किराये पर दिया जाय और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है:—

(क) कोई अभिकर्ता या न्यासी जो स्वामी के मद्दे ऐसा किराया लेता हो;

(ख) कोई अभिकर्त्ता या न्यासी जो धार्मिक या पुण्यार्थ प्रयोजनों के लिए अर्पित किसी परिसर का किराया लेता हो या जिसे उसका प्रबन्ध सौंपा गया हो;

(ग) किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उक्त परिसर का प्रभार लेने के लिए या उक्त परिसर के स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त रिसीवर या प्रबन्धक; और

(घ) सकब्जा बंधकदार;

(20) "दूषित जल" से ऐसा जल अभिप्रेत है जो ऐसे आपत्तिजनक या अपहानिकर पदार्थ से युक्त हो जिसके कारण वह आशयित उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो गया हो;

(21) "परिसर" से कोई भूमि या भवन अथवा भूमि या भवन का कोई भाग अभिप्रेत है;

(22) "विहित" से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(23) "विहित प्राधिकारी" से विहित प्राधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(24) किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में, "प्राइवेट मार्ग" "लोक मार्ग" तथा "मार्ग" के वही अर्थ होंगे जो ऐसे स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले स्थानीय निकाय से संबंधित विधि में उनको दिये गये हों;

(25) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

(26) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(27) "सेवा पाइप" से रोक टोंटी से परे संयोजक पाइप से भिन्न कोई ऐसा पाइप अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी परिसर को जल-प्रदाय किया जाता है;

(28) "सीवेज" से विष्टा तथा जल शौचागार, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों मलकूपों अथवा नालियों की अन्य अन्तर्वस्तुओं और हौदी, स्नानागार, अस्तबल तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों का दूषित जल अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ भी है;

(29) "सीवर" से सीवेज दुर्गन्धित पदार्थ, दूषित जल क्षेप्य जल अथवा अवभूमि जल बहा ले जाने के लिए बन्द वाहक नली अभिप्रेत है;

(30) "सीवरेज" से किसी समुदाय के गृहों, संस्थाओं, उद्योग तथा सार्वजनिक स्थानों से क्षेप्य जल एकत्र करना और ऐसे क्षेप्य जल व्यर्थ द्रव पदार्थ, अवमल, गैस और अन्य अन्तोत्पत्ति को पम्प करके निकालना, शोधन करना और निस्तारण करना अभिप्रेत है;

(31) "रोक टोंटी" से ऐसी रोक टोंटी अभिप्रेत है जो किसी परिसर के जल-प्रदाय को बन्द तथा विनियमित करने के प्रयोजनार्थ प्रनाड़ से दूर संयोजक पाइप के सिरे पर लगी हो;

(32) "व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ" से ऐसा कोई तरल पदार्थ, चाहे उसमें पदार्थ के कण घुले हों या न हों, अभिप्रेत है जो पूर्णतः या अंशतः किसी व्यापार या उद्योग जिसके अन्तर्गत कृषि तथा उद्यान कृषि भी है, के दौरान उत्पादित या उत्सर्जित होता हो किन्तु इसके अन्तर्गत घरेलू सीवेज नहीं है;

(33) "सैप्य जल" से किसी समुदाय द्वारा प्रयुक्त जल अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत भूमिगत जल, भूतल जल तथा सतुच्च जल के साथ-साथ निवास स्थानों वाणिज्यिक भवनों, औद्योगिक संयंत्रों तथा संस्थाओं से कूड़ा बहा ले जाने वाले तरल पदार्थ और पानी का संयोजन भी है;

(34) "जल-संयोजन" के अन्तर्गत:—

(क) कोई ऐसी टंकी, जलकुन्ड, बम्बा (हाइड्रेंट), स्थायी नल, मीटर या टोंटी भी है जो किसी प्राइवेट सम्पत्ति में स्थित हो और यथा स्थिति स्थानीय निकाय या निगम के प्रनाड़ या अन्य पाइप से जुड़ी हुई हो;

(ख) जल का ऐसा पाइप भी है जो ऐसी टंकी, जलकुन्ड, बम्बा, स्थाई नल, मीटर या टोंटी को ऐसे प्रनाड़ या पाइप से जोड़ता हो;

(35) "जल प्रदाय" से किसी समुदाय के लिए पीने की तथा अन्य घरेलू उपयोगों उद्योगों, आमोद-प्रमोद तथा विभिन्न सार्वजनिक उपयोगों की आवश्यकता को पूरा करने वाली जल व्यवस्था प्रणाली अभिप्रेत है;

(36) "जल संकर्म" के अन्तर्गत जल सरणी (जिसमें सोता, झील, झरना, नदी या नहर, कुआ, अन्य भूतल जल स्रोत, पम्प, गैलरी, जलाशय, जलकुण्ड, टंकी सम्मिलित है), नलिका चाहे वह ढकी हो या खुली, शोधन युनिट, जल कपाट, प्रदाय प्रनाड़, पुलिया, इन्जन, जल वाहन, बम्बा, स्थाई नल, वाहक नाली और मशीन, भूमि, भवन या ऐसी अन्य वस्तुयें हैं जो जल प्रदाय के लिए हों या जल प्रदाय के लिए प्रयुक्त हों अथवा जल प्रदाय के स्रोतों की संरचना करने या जल शोधन के लिए हों।

अध्याय–2

निगम की स्थापना, कार्य संचालन, कर्तव्य एवं शक्तियां

3. **निगम की स्थापना**—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथा शीघ्र राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक निगम की स्थापना करेगी जिसका नाम "राजस्थान जल प्रदाय तथा सीवरेज निगम" होगा।

(2) निगम शाश्वत उत्तराधिकार वाला और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों ही प्रकार की सम्पत्तियों के अर्जन, धारण एवं व्ययन करने की तथा संविदा करने की

शक्तियां होंगी, और वह अपने पूर्वोक्त निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

4. **निगम का गठन**—(1) निगम में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी;

(ख) प्रबन्ध निदेशक, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी तथा जिसकी अर्हताएं ऐसी होगी जो विहित की जाय;

(ग) वित्तीय निदेशक, जो एक अर्हित अर्थशास्त्री होगा तथा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी,

(घ) राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का सचिव, पदेन निदेशक;

(ङ) राजस्थान सरकार के वित्त विभाग का सचिव, पदेन निदेशक;

(च) राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग का विशिष्ठ सचिव, पदेन निदेशक;

(छ) निगम का मुख्य अभियन्ता, पदेन निदेशक;

(ज) तीन अशासकीय निदेशक जिनमें से कम से कम एक अनुसूचित जाति/जन जाति का सदस्य होगा जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी;

(झ) राजस्थान विधान सभा के दो सदस्य जिनको अध्यक्ष विधान सभा की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा अशासकीय निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जाए।

(2) अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के नाम राज-पत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

5. **अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या अशासकीय निदेशक होने के लिए अनर्हता**-कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने या बने रहने के लिए अनर्हित होगा, यदि वह—

(क) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध-दोष हुआ हो जिसमें नैतिक अधमता समन्वित हो;

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया हो;

(ग) विकृत-चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया हो;

(घ) धारा 6 में यथा उपबन्धित के सिवाय, निगम के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो;

(ङ) स्वयं या किसी भागीदार, नियोजक या कर्मचारी द्वारा निगम के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविद या नियोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो; या

(च) किसी ऐसी कम्पनी का निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो, जो निगम के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित रखता हो;

परन्तु खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इस कारण से अनर्हित नहीं होगा कि उसका या उस कम्पनी का, जिसका वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी है—

(i) किसी अचल सम्पत्ति की बिक्री, क्रय, उसे पट्टे पर देने या उसके विनिमय अथवा उसके लिए किए गए किसी करार में,

(ii) धन के ऋण के लिए किसी करार में या केवल धन के संदाय के लिए किसी प्रतिभूति में;

(iii) किसी ऐसे समाचार-पत्र में जिसमें निगम के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित हो;

(iv) निगम को किसी एक वर्ष में दस हजार रुपये से अनधिक मूल्य तक की किसी ऐसी वस्तु की, जिसमें वह या कम्पनी नियमित रूप से व्यापार करती हो, यदा कदा बिक्री में;

कोई अंश या हित है ।

6. निदेशकों की पदावधि, उनके वेतन और भत्ते —(1) अध्यक्ष, जब तक कि उसकी पदेन नियुक्ति न की जाय, तीन वर्ष के लिए पदधारित करेगा । राज्य सरकार, यदि वह लोकहित में ऐसा करना उचित समझे तो राज-पत्र में अधिसूचना के जरिये अध्यक्ष की नियुक्ति उक्त अवधि के पूर्व समाप्त कर सकेगी और इसके लिए उसे किसी भी प्रकार के प्रतिकर पाने का हक नहीं होगा ।

(2) प्रबन्ध निदेशक और वित्तीय निदेशक ऐसी कालावधि तक पद धारण करेगा जो कि राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(3) धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति तीन वर्ष तक पद धारण करेगा :

परन्तु राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा उसकी पदावधि उक्त अवधि के पूर्व भी समाप्त कर सकेगी।

(4) धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (झ) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

परन्तु उसके राजस्थान विधान सभा के सदस्य न रहने पर वह निदेशक नहीं रहेगा।

(5) निदेशक पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(6) कोई भी निदेशक किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा और ऐसे त्याग-पत्र के स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

(7) यदि कोई निदेशक अंग शैथिल्य के कारण अथवा अन्यथा अपने कर्तव्यों का पालन करने में अस्थाई रूप से असमर्थ हो जाय या अवकाश पर अनुपस्थित रहे या ऐसी परिस्थितियों में अन्यथा अनुपस्थित रहे जिसमें उसके पद का रिक्त होना अन्तर्वलित न हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसके स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने तथा उसके कृत्यों का पालन करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगी।

(8) अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक एवं वित्तीय निदेशक को निगम की निधि में से ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा नियत किए जायें।

(9) निगम के अन्य निदेशकों को ऐसे भत्तों का संदाय किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा नियत किये जायें।

7. अध्यक्ष तथा अन्य अशासकीय निदेशकों का हटाया जाना—(1) यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि अध्यक्ष ने स्वयं को अपने पद के लिए अनुपयुक्त दर्शित किया है अथवा वह ऐसे किसी अवचार या उपेक्षा का दोषी रहा है जिसके कारण उसको हटाना समीचीन है, अथवा उसने धारा 5 में उल्लिखित कोई भी निरर्हता उपगत करली है तो वह राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा उसे हेतुक दर्शित करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् अपने पद से हटा सकेगी।

(2) राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी अशासकीय निदेशक को हेतु दर्शित करने का समुचित अवसर देने के पश्चात्, पद से हटा सकेगी—

(क) यदि अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या पदेन निदेशक से भिन्न कोई निदेशक निगम की तीन क्रमवर्ती बैठकों से अध्यक्ष की अनुज्ञा, बिना अनुपस्थित रहता है;

(ख) यदि उसने धारा 5 में उल्लिखित कोई भी निरर्हता उपगत करली है;

(ग) यदि वह सरकार की राय में निदेशक के रूप में कार्य करने के लिये अनुपयुक्त है या हो गया है अथवा उसने निदेशक के रूप में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका ऐसा निदेशक बना रहना लोकहित में अहितकर हो गया है।

8. निगम के अधिकारी और कर्मचारी तथा उनकी भर्ती एवं सेवा की शर्तें—(1) निगम, राज्य सरकार द्वारा मंजूर पदों पर, अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जैसा वह आवश्यक समझे। निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विनियमों द्वारा अवधारित की जायेंगी।

(2) निगम, समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी को निगम के कर्मचारी के रूप में ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर नियुक्त कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(3) निगम के अधीक्षण के अध्यधीन प्रबन्ध निदेशक निगम का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। वह निगम में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किसी भी सरकारी अधिकारी को सम्मिलित करते हुए समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करेगा एवं उन पर नियन्त्रण रखेगा।

9. निगम के आदेशों आदि का अधिप्रमाणीकरण—निगम की समस्त कार्यवाहियां अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी निदेशक के हस्ताक्षराधीन अधिप्रमाणित की जायेंगी और निगम के समस्त अन्य आदेश और लिखित प्रबन्ध निदेशक या निगम के किसी भी अन्य अधिकारी, जिसे विनियमों द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, के हस्ताक्षराधीन अधिप्रमाणित किए जायेंगे।

10. सरकारी अधिकारियों आदि से सहायता—निगम किसी भी मामले में अपनी सहायता या सलाह लेने के प्रयोजनार्थ अपनी बैठक में हाजिर होने के लिए सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को आमन्त्रित कर सकेगा। इस प्रकार आमन्त्रित व्यक्ति निगम की कार्यवाहियों में भाग ले सकेगा किन्तु उसे मत का अधिकार नहीं होगा।

11. शक्तियों का प्रत्यायोजन:—इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन निगम सामान्य या विशेष आदेश द्वारा या ऐसे नियमों द्वारा जो विहित किये जायं या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायं अधीन रहते हुए, जिसके अन्तर्गत स्वयं द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है, अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को या अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक या निगम के किसी अन्य अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य, जिन्हें वह उचित समझे तथा जो धारा 4, 62, और 67 के अधीन उसकी शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य न हों, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

12. हित होने के कारण निगम या समिति की कार्यवाहियों में भाग लेने सम्बन्धी निरर्हता:—(1) निगम का कोई निदेशक या निगम द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई सदस्य—

(क) जिसका किसी मामले के संबंध में धारा 5 के खण्ड (ड.) या (च) में वर्णित प्रकार का कोई अंश या हित हो, या

(ख) जिसने किसी मामले के संबंध में, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से, जिसका उस मामले में पूर्वोक्त प्रकार का कोई अंश या हित हो, वृत्तिक रूप से काम किया हो, धारा 5 के परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी; ऐसे मामले के सम्बन्ध में निगम या उसकी किसी समिति की किसी कार्यवाही में (जिसके अन्तर्गत किसी संकल्प या प्रश्न पर चर्चा भी है) न तो मत देगा और न ही भाग लेगा।

(2) यदि निगम के किसी निदेशक या निगम द्वारा नियुक्त किसी समिति के किसी सदस्य का किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित हो, तो वह निगम की या उसकी किसी समिति की किसी ऐसी बैठक में भाग नहीं लेगा जिसमें ऐसी भूमि से सम्बन्धित किसी विषय पर विचार किया जाना हो।

(3) उप-धारा (1) या (2) की कोई बात निगम के किसी निदेशक या उसकी किसी समिति के किसी सदस्य को इन उपधाराओं में निर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी अन्य विषय से सम्बद्ध किसी संकल्प या प्रश्न पर मत देने या उसकी चर्चा में भाग लेने से नहीं रोकेगी।

13. रिक्ति, अनियमितता आदि के कारण कार्य का अविधिमान्य नहीं होना—निगम या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल—

(क) निगम या उसकी किसी समिति में किसी निदेशक या सदस्य की कोई रिक्ति या उसके गठन अथवा पुनर्गठन में कोई त्रुटि होने या,

(ख) निगम के निदेशक या उसकी किसी समिति के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता होने, या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में जिसका सार पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने—
के कारण अविधिमान्य नहीं होगा।

14. **निगम के कर्तव्य और कृत्य:**—निगम के कर्त्तव्य और कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात:—

(क) जल प्रदाय तथा सीवरेज के लिये और सीवेज के निस्तारण के लिये योजनायें तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनकी अभिवृद्धि करना तथा उन्हें वित्तपोषित करना;

(ख) राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को, तथा अनुरोध करने पर प्राईवेट संस्थाओं या व्यक्तियों को भी, जल प्रदाय तथा सीवरेज के बारे में सभी आवश्यक सेवायें प्रदान करना;

(ग) राज्य सरकार के निदेश पर जल प्रदाय; सीवरेज तथा जल-निकास के लिए राज्य योजनाओं का प्रारूप तैयार करना;

(घ) निगम के तथा ऐसी स्थानीय निकायों के जिन्होंने निगम के साथ कोई करार किया हो, क्षेत्रों में जल प्रदाय तथा सीवरेज प्रणाली के टैरिफ, कर, फीस और प्रभारों का पुनर्विलोकन करना और उन पर सलाह देना;

(ङ) सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण करना और उसे प्राप्त करने तथा उसका उपयोग किये की व्यवस्था करना;

(च) जल प्रदाय तथा सीवरेज सेवाओं के लिये राज्य मानक स्थापित करना;

(छ) निगम की अथवा ऐसी स्थानीय निकायों की जिन्होंने निगम के साथ कोई करार किया हो, प्रत्येक स्कीम के जल प्रदाय तथा सीवरेज प्रणाली के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं का वार्षिक पुनर्विलोकन करना;

(ज) राज्य में प्रत्येक जल प्रदाय तथा सीवरेज स्कीम के तकनीकी, वित्तीय आर्थिक तथा अन्य संगत पहलुओं के पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन करने की सुविधा स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना;

(ढ) जब कभी राज्य सरकार द्वारा ऐसा निदेश किया जाय तो किसी जल संकर्म तथा सीवरेज प्रणाली का, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर तथा ऐसी कालावधि के लिये जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संचालित करना, चलाना और अनुरक्षण करना;

(ण) राज्य में जल प्रदाय तथा सीवरेज सेवाओं के सम्बन्ध में जनशक्ति तथा प्रशिक्षण की आवश्यकतायें निर्धारित करना;

(ट) निगम के कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने के लिये आवहारिक गवेषणा करना;

(ठ) राज्य के जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा किये जाने वाले ऐसे कर्त्तव्यों और कृत्यों का पालन करना, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जावें;

(ड) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों और कृत्यों का पालन तथा उनका निर्वहन करना जो इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन निगम को आवंटित किये गये हैं; या

(ड) ऐसे अन्य पर्यावरिक अभियांत्रिक कृत्य करना जो राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें

15. निगम की शक्तियां:—(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन निगम को ऐसे किसी भी कार्य करने की शक्ति होगी, जो उसके लिये इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन करने लिये आवश्यक या समीचीन हो।

(2) पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्तियों के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी:—

(क) राज्य में जल प्रदाय तथा सीवरेज सुविधाओं का चाहे किसी के भी द्वारा वे संचालित होती हों, निरीक्षण करना;

(ख) किसी स्थानीय निकाय तथा संचालन अभिकरणों से ऐसी कालिका अथवा विनिर्दिष्ट सूचना अभिप्राप्त करना, जिन्हें निगम आवश्यक समझे;

(ग) अपने स्वयं के कार्मिकों के लिये तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;

(घ) जल प्रदाय तथा सीवरेज योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित करना;

(ङ) राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संस्थाओं या व्यक्तियों को निगम द्वारा प्रदान की गई सभी प्रकार की सेवाओं के लिये राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से फीस और अन्य प्रभारों की अनुसूची निर्धारित करना;

(च) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ ऐसी संविदा या करार करना जिसे निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन और अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिये आवश्यक समझे;

(छ) प्रतिवर्ष अपना बजट अभिस्वीकृत करना;

(ज) निगम की अधिकारिता और ऐसे स्थानीय निकायों जिन्होंने निगम के साथ करार किया हो, के भीतर समाविष्ट अलग-अलग स्थानीय क्षेत्रों पर लागू जल प्रदाय तथा सीवरेज सेवाओं के लिये राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से टैरिफ का अनुमोदन करना;

(झ) अपने सभी कार्यकलापों का इस प्रकार प्रबंध करना जिससे कि अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्यप्रद जल मिल सके तथा जहां साध्य हो वहां पर्याप्त सीवरेज सेवा की व्यवस्था की जा सके;

(ञ) ऐसे अन्य उपाय करना जो किसी आपात के समय जल प्रदाय को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो;

(ट) भूमि तथा अन्य सम्पत्ति अर्जित करना, उन पर कब्जा करना और उन्हें धारित करना और किसी राजमार्ग, सड़क मार्ग या स्थान से होकर, उसके आर-पार, ऊपर या नीचे से और स्वामी या अधिभोगी को युक्तियुक्त लिखित नोटिस देने के पश्चात किसी भवन या भूमि से, उससे होकर, उसके ऊपर या नीचे से कोई जल या सीवरेज संबंधी निर्माण कार्य करना;

(ठ) किसी प्राकृतिक स्त्रोत से जल निकालना और क्षेप्य जल का निस्तारण करना;

(ड) पेय जल तथा सीवरेज योजनाओं अथवा पर्यावरिक अभियान्त्रिक सेवाओं या स्वच्छता के सुधार संबंधी किन्हीं अन्य योजनाओं के लिये ऐसे निबन्धों एवं शर्तों पर जो समीचीन हों धन उगाहना, उधार लेना या प्राप्त करना और विशेष तौर से उधार और अग्रिमों, निक्षेपों के रूप में तथा ऋण-पत्र जारी करके ऐसी लोक संस्थाओं जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, बैंक तथा किन्हीं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों या राज्य और केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता या अन्यक द्वारा धन अभिप्राप्त करना;

(ढ) जल प्रदाय तथा सीवरेज अथवा किन्हीं अन्य स्वच्छता सुधार योजनाओं के लिये राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार तथा स्थानीय निकायों से अनुदान प्राप्त करना;

(ण) परस्पर सम्मत निबन्धनों और शर्तों के अनुसार उधारदाताओं को ऋण किश्तों का प्रतिसंदाय करना तथा उनके मूलधन पर ब्याज संदत्त करना;

(त) स्थानीय निकायों अथवा सरकार को उनके जल प्रदाय तथा सीवरेज योजनाओं के लिए ऐसे निबन्धों और शर्तों पर, जो निगम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय उधार देना

(थ) निगम द्वारा स्थानीय निकायों अथवा राज्य सरकार को अग्रिम दिये गये उधारों की बाबत उनसे मूलधन और उस पर ब्याज वसूल करना;

(द) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने के लिये ऐसा व्यय करना जो निगम आवश्यक समझें;

(ध) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जो इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन निगम को प्रदत्त की गई हो।

16. **निदेश देने तथा विवरणियां, रिपोर्ट आदि मांगने की निगम की शक्तियां**–(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निगम धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा वित्त पोषित किसी जल प्रदाय या सीवरेज योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में किस स्थानीय निकाय को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे और उक्त निकाय ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।

(2). उस दशा में जबकि कोई स्थानीय निकाय ऐसे किसी निदेश से व्यथित हो अथवा उसका अनुपालन करने में कोई कठिनाई अनुभव करे तो वह उस मामले को राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) निगम को किसी स्थानीय निकाय या अन्य निकाय या व्यक्ति ऐसी कोई विवरणी, लेखा विवरण, रिपोर्ट, आंकड़े या अन्य सूचना जिसकी उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा अपने कर्तव्यों व कृत्यों का पालन और निर्वहन रने के लिए अपेक्षा की जाय, मांगने की शक्ति होगी तथा ऐसा निकाय या व्यक्ति ऐसी सूचना देने के लिये बाध्य होगा।

17. **पर्यवेक्षण तथा प्रति सैकड़ा प्रभार**—निगम किसी ऐसी योजना या संदर्भ ी लागत में, जिसके निष्पादन या पश्चात्तर निष्पादन का कार्य धारा 14 के खण्ड (क)

के अधीन किया गया हो पर्यवेक्षण तथा प्रति सैंकड़ा प्रभार ऐसी दर पर, जो ऐसी सीमा से अधिक न हो जो विहित की जाय, और जिसे वह धारा 15 की उप-धारा (2) के खण्ड (ड) के अधीन अवधारित करे, सम्मिलित कर सकेगा।

अध्याय 3.

संपत्ति, आस्तियों, दायित्वों व बाध्यताओं का निहित होना तथा कर्मचारियों का अन्तरण

18. निगम में संपत्ति का निहित होना तथा अन्तरण—(1) ऐसी विभिन्न तारीखों से, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा में "नियत तारीख" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है)—

(क) ऐसी सम्पत्तियां और आस्तियां (जिनके अन्तर्गत जल संकर्म, भवन, प्रयोगशालायें, भण्डार, गाड़ियां फर्नीचर और अन्य साज-सामान सम्मिलित हैं) जो नियत तारीख से पूर्व जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, राजस्थान के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार में निहित थी, निगम में निहित और उसको अन्तरित हो जायेंगी तथा

(ख) उक्त सेवा से संबंधित राज्य सरकार के अधिकार, दायित्व और बाध्यतायें चाहे वे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुई हों, निगम के अधिकार, दायित्व और बाध्यतायें होंगी।

(2) ऐसी सम्पत्तियों, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का मूल्यांकन ऐसी रीति से किया जायेगा जैसे राज्य सरकार अवधारित करे।

(3) उपरि-निर्दिष्ट मामलों की बाबत जो वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां नियत तारीख से पूर्व राज्य सरकार के द्वारा या विरुद्ध संस्थित की गई हों या संस्थित या प्रतिवादित की जाय, वे सभी निगम के द्वारा या विरुद्ध जारी या संस्थित, या प्रतिवादित की जा सकेंगी,

19. संपत्ति के निहित होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होना जहां कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो कि क्या कोई सम्पत्ति या आस्ति निगम में धारा 18 के अधीन निहित हुई है अथवा कोई अधिकार, दायित्व या बाध्यतायें उस धारा के अधीन निगम के अनुसार, दायित्व या बाध्यतायें हो गई हैं वहां ऐसे संदेह या विवाद को राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. विद्यमान जल प्रदाय एवं सीवरेज सेवाओं का निगम में निहित होना-(1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी निगम, किसी भी

समय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किन्हीं भी जलप्रदाय एवं सीवरेज सेवाओं को उनके अनुरक्षण या वृद्धि या सुधार के लिए, किसी भी स्थानीय निकाय से ग्रहण कर सकेगा और ऐसे मामलों में—

(क) समस्त विद्यमान जल प्रदाय एवं सीवरेज सेवा में, सीवेज संकर्म तथा सीवेज फार्म जिसमें यथा स्थिति, समस्त संयंत्र, मशीनरी जल संकर्म पंपिंग स्टेशन, छानने की टंकियां जल प्रनाड तथा किसी सार्वजनिक मार्ग में या उसके किनारे ऊपर या नीचे सार्वजनिक सीवर तथा उससे संबंधित ऐसे सभी भवन, भूमि और अन्य निर्माण कार्य सामग्री, भंडार और वस्तुयें सम्मिलित है, जो उसमें निहित हों;

(ख) उक्त जल प्रनाड तथा सीवरों में अनुलग्न उतनी अब भूमि जो किसी ऐसे जल प्रनाड तथा सीवरों या किन्हीं पाइपों तथा ऐसे अन्य उपकरणों तथा फिटिंग, जो ऐसे जल प्रदाय तथा सीवरेज सेवाओं और सीवेज संकर्मों तथा सीवेज फार्मों से संबंधित हो, को बढ़ाने, गहरा करने या अन्य प्रकार से उनकी मरम्मत या उनका अनुरक्षण करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो; और

(ग) खण्ड (क) और (ख) में वर्णित वस्तुओं से संबंधित उक्त स्थानीय निकाय के समस्त अधिकार, दायित्व तथा बाध्यतायें जिसमें जल-कर और सीवरेज-कर, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा गया हो, और जल प्रदाय तथा सीवरेज सेवाओं से संबंधित किसी व्यय या फीस या प्रभार की बकाया की वसूली का अधिकार सम्मिलित है और इसमें खण्ड (क) या (ख) में निदिष्ट प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये व्यपवर्तित या उपयोजित उधार के अलावा, उपरोक्त बात के लिये सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त स्थानीय निकाय को दिये गये किसी उधार से उत्पन्न होने वाले दायित्व भी है;

की तारीख को, जो निगम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, निगम को अन्तरित हो जायेंगे और में निहित होंगे तथा उसके नियंत्रण के अध्यधीन होंगे।

(2) ऐसी संपत्तियां, आस्तियां, अधिकार दायित्व और बाध्यताओं का अंकन ऐसी रीति से किया जायेगा जो राज्य सरकार अवधारित करें।

(3) जहां इस संबंध में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई संपत्ति आस्ति उप-धारा (1) के अधीन निगम में निहित हो गई है या कोई अधिकार, दायित्व बाध्यताएं इस धारा के अधीन निगम के अधिकार दायित्व या बाध्यताएं हो गयी है या संदेह का विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा और निगम तथा सम्बन्धित स्थानीय निकाय पर आबद्धकर होगा।

(4) स्थानीय निकाय की किन्हीं सम्पत्तियों या आस्तियों को ग्रहण करने के लिये निगम उस निकाय को ऐसी रकम का संदाय करेगा जैसा कि परस्पर करार किया जाय। ऐसे किसी करार के अभाव में राज्य सरकार उप-धारा (२) के अधीन किये गये मूल्यांकन के आधार पर तथा जल प्रदाय एवं सीवरेज सेवाओं की व्यवस्था करने के स्थानीय निकाय के कानूनों, कर्तव्यों, स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर प्राप्त अनुदानों, स्थानीय निकाय के बकाया ऋण दायित्वों एवं ऐसी अन्य सुसंगत बातों पर विचार करने के पश्चात् स्थानीय निकाय को संदत्त की जाने वाली रकम का अवधारण करेगी। राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर आबद्धकर होगा।

21. स्थानीय निकायों से ग्रहण किये गये जल संकर्मों के ऐसे मामलों की बाबत जिन पर यह अधिनियम लागू होता है निगम द्वारा दायित्वों का ग्रहण किया जाना:— निगम द्वारा किसी स्थानीय निकाय से ग्रहण किये गये जल संकर्मों की बाबत निगम द्वारा जल संकर्मों के ग्रहण किये जाने से पूर्व किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा उसके साथ या उसके लिये उपगत समस्त ऋण एवं बाध्यताएं, की गई समस्त संविदाएं, किये जाने के लिये वचनबद्ध समस्त मामले एवं बातें, निगम द्वारा उसके साथ या उसके लिये उपगत किये गए या किये जाने के लिये वचनबद्ध समझी जायेंगी और ऐसे सभी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां जो स्थानीय निकाय द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित हों या जो यदि धारा 20 की उप-धारा (1) के अधीन अन्तरित और निहित न होतीं तो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या प्रतिवादित की जा सकती, निगम द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी अथवा संस्थित या प्रतिपादित की जा सकेंगी।

22. निगम तथा अन्य स्थानीय निकायों के कार्यकलापों का समन्वय:— यदि राज्य सरकार की राय हो कि यह लोकहित में है कि निगम तथा अन्य स्थानीय निकायों को, जिनकी एक दूसरे से लगे हुए क्षेत्रों पर अधिकारिता हो, जलप्रदाय सेवाओं या सीवरेज सेवाओं अथवा दोनों के संबंध में अपने कार्यकलापों का समन्वय करना चाहिए तो वह निगम या संबंधित अन्य स्थानीय निकायों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह उचित समझे और निगम तथा अन्य निकायों का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का पालन करें।

23. सरकारी कर्मचारियों का निगम को स्थानान्तरण— (1) निगम की स्थापना पर और उसके पश्चात् राज्य सरकार समय-समय पर, निदेश दे सकेगी कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में राज्य सरकार के विद्यमान ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों, जो उसकी राय में, उसकी आवश्यकताओं से अधिशेष हो गये है, की सेवायें समाप्त हो जायेंगी और उनके पद ऐसी तारीख से समाप्त हो जायेंगे जो इसके द्वारा विनिश्चत की जाय (एतद्-पश्चात् जिसे इस धारा में "नियत तारीख" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) और उस तारीख (जो विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये भिन्न-भिन्न हो सकती है) से वे निगम के अधिकारी या कर्मचारी हो जायेंगे।

(2) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का प्रत्येक ऐसा स्थायी या अस्थायी कर्मचारी जिसके संबंध में उप-धारा (1) के अधीन निदेश जारी किया गया हो, नियत तारीख को तथा से, निगम में स्थायी अस्थायी पद पर जो नियत तारीख से निगम की स्थापना में सृजित हो जायेंगे, यथास्थिति, स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हो जायेगा।

(3) इस प्रकार स्थानान्तरित कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उसी अवधि के लिये वही पारिश्रमिक पर और सेवा की उन्हीं अन्य शर्तों पर और पेंशन, उपदान, भविष्य निधि एवं अन्य मामलों के संबंध में उन्हीं अधिकारों एवं उन्हीं विशेषाधिकारों सहित निगम के अधीन अपना पद धारण करेगा जैसे कि वह नियत तारीख को धारण करता यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता। उसके द्वारा राज्य सरकार के अधीन की गई कोई भी सेवा निगम के अधीन की गई सेवा समझी जायेगी। वह निगम के अधीन सेवा करता रहेगा जब तक कि निगम के अधीन उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त न कर दिया जाय या उसका पारिश्रमिक अथवा सेवा की अन्य शर्तें उसकी सेवा की शर्तों को तत्समय शासित करने वाली विधि के अनुसरण में निगम द्वारा सम्यक् रूप से संशोधित या परिवर्तित न कर दी जाय :

परन्तु ऐसे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के मामले में नियत तारीख से ठीक पूर्व लागू सेवा की शर्तों में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसा फेरफार नहीं किया जायेगा जिससे उसका अहित होता हो।

(4) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारियों की पेंशन, भविष्य-निधि, उपदान और उनके लिये गठित ऐसी ही अन्य निधियों में उनके खाते में जमा राशियां, नियत तारीख तक बकाया उचित ब्याज और ऐसी निधि से संबंधित लेखे सहित, राज्य सरकार द्वारा निगम को अन्तरित करदी जायेंगी। नियत तारीख को, और उसके पश्चात, निगम, राज्य सरकार को अपवर्जित करते हुए पेंशन, भविष्य निधि, उपदान या ऐसी अन्य राशियों के संदाय के लिये दायी होगा जो ऐसे कर्मचारियों को उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार उपयुक्त समय पर संदेय हो।

(5) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी उप-धारा (1) के अधीन किसी भी कर्मचारी की सेवाओं का निगम को स्थानान्तर उक्त अधिनियम अथवा ऐसी अन्य विधि के अधीन किसी भी प्रतिकर का हकदार नहीं बनायेगा और किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई भी दावा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(6) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी भी ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगी जो नियत तारीख से दो माह या ऐसे वर्धित समय, जो राज्य सरकार

सामान्य या विशेष आदेश से विनिदिष्ट करें के भीतर राज्य सरकार को दिये लिखित नोटिस द्वारा निगम का कर्मचारी न होने का, या न बने रहने की सूचना देता है।

(7) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी,—

(क) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में नियोजित किसी भी व्यक्ति, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित है या जिसको उसकी सेवा समाप्ति का या अनिवार्य सेवानिवृति का नोटिस या आदेश जारी कर दिया गया है, का निगम को स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा और उक्त तारीख के पश्चात् ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी जो राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा विनिदिष्ट करें;

(ख) यदि राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी की सेवायें उप-धारा (1) के अधीन निगम को स्थानान्तरित हो जाती है तो निगम ऐसे स्थानान्तरण के पश्चात् ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध या उसके सम्बन्ध में ऐसे कर्मचारी के उस समय के जबकि वह राज्य सरकार की सेवा में था किसी भी कार्य का लोप या आचरण या अभिलेख को ध्यान में रखते हुए ऐसी अनुशासनिक या अन्य कार्यवाही करने में सक्षम होगा; जो वह उचित समझें।

अध्याय–4

संविदा, वित्त, लेखा तथा संपरीक्षा

24. संविदा आदि का उत्पादन–निगम की ओर से प्रत्येक संविदा अथवा सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण पत्र लिखित में होगा और ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से निष्पादित किया जाएगा जो विनियमों द्वारा उपबंधित की जाय।

25. निगम निधि–निगम की स्वयं की निधि होगी जो "निगम निधि" कहलाएगी तथा जिसे स्थानीय निधि समझा जाएगा और उसमें निगम द्वारा या उसकी ओर से उधार के रूप में प्राप्त धन राशियों से भिन्न प्राप्त सभी धन राशियां जमा की जायेगी।

26. निगम की अन्य निधियां—(1) निगम की दूसरी निधि भी होगी जो "उधार निधि" कहलाएगी, जिसे भी स्थानीय निधि समझा जावेगा और इसमें निगम द्वारा या उसकी ओर से उधार के रूप में प्राप्त समस्त धन राशियां जमा की जायेगी।

(2) धारा 25 या इस धारा की उप-धारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निगम, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसी अन्य निधियों का गठन

कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसके कर्त्तव्य दक्षतापूर्वक पालन करने के लिये और कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हों।

(3) राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निदेशित के सिवाय, ऐसी सभी धन-राशियां और प्राप्तियां जो पूर्वगामी उपबंधों में विनिर्दिष्ट है तथा निगम की निधियों का भाग है, भारतीय रिजर्व बैंक में या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य अनुसूचित बैंक में निक्षिप्त की जायेगी अथवा ऐसी प्रतिभूतियों में नियोजित की जायेगी जिन्हें राज्य सरकार अनुमोदित करे।

27. **निगम के वित्त के लिए सामान्य सिद्धान्त**—निगम यथ साध्य एवं धारा 28 के अधीन राज्य सरकार से किसी भी अनुदान या वित्तीय सहायता के आंकलन करने के पश्चात्, इस अधिनियम के अधीन हानि पर अपना कार्य नहीं करेगा।

28. **निगम को अनुदान एवं वित्तीय सहायता**—राज्य सरकार, इस निमित्त सम्यक् रूप से किये गये विनियोग के अधीन, समय-समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निगम को ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर जो राज्य सरकार अवधारित करे, आवर्तक तथा अनावर्तक अनुदान एवं वित्तीय सहायता दे सकेगी।

29. **निगम को उधार**—राज्य सरकार समय-समय पर निगम को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर उधार दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जिन पर राज्य सरकार तथा निगम सहमत हो।

30. **निगम की निधियों में सरकार का आरम्भिक अभिदाय**—इस निमित्त सम्यक् रूप से किए गए विनियोग के अधीन राज्य सरकार निगम की निधियों को एक करोड़ रुपये या ऐसी कम राशि का आरम्भिक अभिदाय कर सकेगी जो वह उचित समझे।

31. **उधार लेने एवं पुनः उधार देने की शक्ति**—(1) निगम, समय-समय पर राज्य सरकार सामान्य या विशेष मंजूरी से और इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसी शर्तों जो राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिरोपित करे, के अध्यधीन, इस अधि-नियम के प्रयोजनार्थ अपेक्षित धन राशियां राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बैंक या अन्य निकाय या संस्थाओं से व्यवस्था कर उधार ले सकेगा।

(2) निगम, ऐसी उधार ली गई धनराशि का कोई भाग जल प्रदाय एवं सीवरेज सेवाओं से सम्बन्धित अपने कर्त्तव्यों का पालन करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी भी स्थानीय निकाय अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग को, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो निगम अवधारित करे, उधार दे सकेगा।

32. **अवक्षयण आरक्षिति**—निगम एक अवक्षयण आरक्षित का सृजन करेगा और उसके लिए ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किये जायें, वार्षिक उपबन्ध करेगा।

33. प्रत्याभूतिदाता के रूप में सरकार—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निगम को दी गई या अन्तरित की गई किसी भी उधार के प्रतिसंदाय और समस्त या किसी भी उधार पर ब्याज के संदाय की प्रत्याभूति दे सकेगी।

34. वार्षिक वित्तीय विवरण, लेखा एवं संपरीक्षा—(1) (क) हर वर्ष फरवरी मास में निगम राज्य सरकार को आगामी वर्ष की अनुमानित पूंजी और राजस्व प्राप्तियों तथा व्यय का एक विवरण विहित प्रारूप में प्रस्तुत करेगा;

(ख) उक्त विवरण में निगम के निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन का और ऐसी अन्य विशिष्टियों का जो विहित की जाय, विवरण सम्मिलित होगा;

(ग) राज्य सरकार, उक्त विवरण की प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र उसे राज्य विधान मण्डल के सदन के पटल पर रखेगी और उक्त विवरण पर सदन में विचार विमर्श हो सकेगा, परन्तु उस पर मतदान नहीं होगा;

(घ) निगम, राज्य विधान मण्डल में उक्त विवरण पर अभिव्यक्त विचारों को ध्यान में रखेगा;

(ङ) निगम किसी भी समय उस वर्ष के दौरान जिसके बारे में खण्ड (क) के अधीन विवरण प्रस्तुत किया गया है, राज्य सरकार को अनुपूरक विवरण प्रस्तुत कर सकेगा और इस उप-धारा के समस्त उपबन्ध ऐसे विवरण पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त खण्ड के अधीन विवरण पर लागू होते हैं;

(2) निगम ऐसी उचित लेखा बही और अपने लेखों के सम्बन्धों में ऐसी अन्य बहियां संधारित करवायेगा और ऐसे प्रारूप में और रीति से तुलन-पत्र तैयार करेगा जैसाकि विनियमों द्वारा अपेक्षित हो।

(3) निगम के लेखों की संपरीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे समय पर की जायेगी, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे। इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षा को ऐसे विषयों के सम्बन्ध में लेखों के प्रस्तुत किये जाने और सूचना दिये जाने की अपेक्षा करने की और अस्वीकृति और अधिभार के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियां होंगी, जो विहित की जाय।

(4) लेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित निगम के लेखे और उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्य सरकार को भेजे जायेंगे जो निगम को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी जो वह उचित समझे और निगम ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(5) राज्य सरकार निगम के लेखे ऐसी रीति से प्रकाशित करवायेगी जो वह उचित समझे।

अध्याय–5

कर, फीस और प्रभार

35. जल परिव्यय—(1) निगम, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से तथा राज-पत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदाय किये जाने वाले जल का परिव्यय उसके परिमाण के अनुसार तथा प्रत्येक संयोजन की बाबत प्रभारित किये जाने वाला न्यूनतम परिव्यय भी निश्चित करेगा।

(2) निगम, परिमाण के अनुसार जल का परिव्यय प्रभारित करने के स्थान पर किसी भी उपभोक्ता से विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान जल के प्रत्याशित उपभोग के आधार पर उस कालावधि के लिए निश्चित राशि या सर्वसमान दर स्वीकार कर सकेगा।

36. क्षेप्य जल के निस्तारण का परिव्यय—(1) निगम, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से तथा राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा क्षेप्य जल के निस्तारण का परिव्यय उसके परिमाण के अनुसार (जो उपभोक्ता को प्रदाय किये गये कुल जल के परिमाण का उतना प्रतिशत होगा जो विहित किया जाय) और ऐसे निस्तारण की बाबत प्रभारित किया जाने वाला न्यूनतम परिव्यय भी निश्चित करेगा।

(2) निगम उप-धारा (1) में वर्णित आधार के अनुसार क्षेप्य जल के निस्तारण का परिव्यय लेने के स्थान पर विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, उक्त कालावधि में क्षेप्य जल के प्रत्याशित निस्तारण के आधार पर एक निश्चित धनराशि स्वीकार कर सकेगा।

37. मीटर का किराया और सेवाओं के लिये फीस – (1) निगम जल मीटरों की व्यवस्था कर सकेगा और मीटरों के लिये ऐसा किराया प्रभारित कर सकेगा जैसा विधियों में उपबन्धित किया जाय।

(2) निगम किसी भी जल-प्रदाय या सीवर के संयोजन, संयोजन या काटने, उसे पुनः संयोजित करने अथवा जांच या पर्यवेक्षण अथवा की गई किसी अन्य सेवा या निष्पादित या पर्यवेक्षित कार्य के लिए फीस ऐसी दरों पर प्रभारित कर सकेगा, जो उप-विधियों द्वारा उपबंधित की जाये।

38. निक्षेप—निगम किसी भी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के प्रवर्ग से अपने देयों के तुरन्त संदाय तथा उन शर्तों के सम्यक निर्वहन के लिये जिन शर्तों के अध्यधीन उनको सेवायें दी जाती हैं, उपविधियों द्वारा उपबंधित ऐसी रकम प्रतिभूति के रूप में निक्षेप कराने की अपेक्षा कर सकेगा जो उनमें विनिर्दिष्ट की जाय। इस प्रकार निक्षिप्त रकम में से अपनी बकाया वसूल करना निगम के लिये विधि पूर्ण होगा।

39. निगम को देय धनराशि की वसूली—इस अधिनियम के अधीन निगम को जल का परिव्यय, क्षेप्य जल निस्तारण का परिव्यय मीटर किराया, फीस, प्रभार, कर, विकास

प्रभार अन्यथा के मद्दे देय कोई रकम, वसूली के किसी अन्य तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

40. सामान्य जल-प्रदाय और सीवरेज सेवाओं के लिए प्रभार—(1) निगम किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर आम जनता को जल-प्रदाय तथा सीवरेज सेवाओं के लिए—

(क) जहां क्षेत्र निगम के जल-प्रदाय सेवाओं के अन्तर्गत आता है, जल प्रभार; और

(ख) जहां क्षेत्र निगम के सीवरेज सेवाओं के अन्तर्गत आता है, सीवरेज प्रभार;

उद्ग्रहीत कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) में वर्णित प्रभार ऐसी दर और ऐसे आधार पर जिसे राज्य सरकार, निगम की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, समय-समय पर, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे, उद्गृहीत किये जायेंगे और उस क्षेत्र के स्थानीय निकाय से वसूलीय होंगे।

(3) जहां स्थानीय निकाय, जो उप-धारा (2) के अधीन जल प्रदाय और/या सीवरेज प्रभार का संदाय करने का दायी है, ऐसा करने में विफल रहता है तो, ऐसे प्रभार, सम्बन्धित स्थानीय निकाय से उन्हें वसूल करने के निगम के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय को उसके द्वारा संदत्त किये जाने वाले किसी सहायतार्थ अनुदान से काट लिये जायेंगे और निगम निधि में जमा करा दिये जायेंगे।

41. नगरीय क्षेत्रों में विकास प्रभारों की वसूली— निगम द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अपने जिम्मे ली गई या ली जाने वाली किसी स्कीम के अन्वेषण, उसकी तैयारी और उसके निष्पादन का परिव्यय, ऐसी दर से और रीति से जो विहित की जावे।

(क) पहले से विकसित क्षेत्र में परिसर के स्वामी से;

(ख) नये विकासशील क्षेत्र में विकास के लिये जिम्मेवार एजेन्सी से; वसूलीय होगा।

अध्याय-6.

जल-प्रदाय

42. घरेलू प्रयोजनों के लिये जल-प्रदाय की परिभाषा—इस अधिनियम के अधीन घरेलू प्रयोजनों के लिये जल प्रदाय से, सिवाय निम्नलिखित के, किसी भी प्रयोजन के लिये जल प्रदाय करना अभिप्रेत है, अर्थात्: —

(क) व्यापार, विनिर्माण या कारबार के लिये;

(ख) उद्यानों (रसोई और गृह उद्यानों को छोड़कर) के लिये या सिंचाई के प्रयोजनार्थ;

(ग) भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ जिसके अन्तर्गत मार्गों का निर्माण भी है;

(घ) सार्वजनिक फव्वारे, तैरने के हौज, या टंकियां या किसी अलंकारिक या यांत्रिक प्रयोजनों के लिए;

(ङ) किसी जलपान गृह में या किसी होटल या बोर्डिंग हाउस या आवासिक क्लब के निवासियों द्वारा उपभोग तथा प्रयोग के लिये;

(च) नाट्यशाला तथा सिनेमा में अभिगमन करने वाले व्यक्तियों के उपभोग तथा प्रयोग के लिये;

(छ) मार्गों पर छिड़काव के लिये; या

(ज) गाड़ियों को धोने के लिये यदि वे बिक्री या किराये पर देने के लिये रखी जाती हों।

43. घरेलू प्रयोजनों के लिये जल-प्रदाय का प्रयोग गैर-घरेलू प्रयोजनों के लिये नहीं किया जाना—कोई व्यक्ति; ऐसी परिस्थितियों के सिवाय या ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसा कि उपविधियों द्वारा उपबंधित किया जाय, घरेलू प्रयोजनों के लिये निगम द्वारा प्रदाय किये गये जल का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये न तो करेगा और न करने देगा।

44. अनुज्ञप्त नल मिस्त्री—(1) निगम द्वारा अनुज्ञप्त नल मिस्त्री से भिन्न कोई व्यक्ति जल संयोजन के संबंध में ऐसा कोई कार्य जब तक कि वह कार्य मामूली प्रकृति का न हो, निष्पादित नहीं करेगा, और कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्त नल मिस्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा कार्य निष्पादित करने की अनुज्ञा नहीं देगा।

(2) जहां कोई कार्य उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके निष्पादित किया जाय तो ऐसा कार्य निगम के विवेकानुसार विघटित किया जा सकेगा।

45. जल के अपव्यय पर प्रतिषेध—(1) किसी ऐसे परिसर का स्वामी या अधिभोगी जिसे निगम द्वारा जल-प्रदाय किया गया हो, जल का न तो अपव्यय होने देगा और न अपव्यय करेगा अथवा न ही उससे संयोजित किसी सेवा पाइप या किसी टोंटी या अन्य फिटिंग या कार्य को बिना मरम्मत के रहने देगा या रखेगा जिससे कि जल का अपव्यय हो।

(2) जब कभी निगम को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी सेवा पाईप या टोंटी अथवा उससे संयोजित अन्य फिटिंग या कार्य में किसी नुक्स के परिणामस्वरूप जल का अपव्यय हो रहा है तो निगम लिखित नोटिस द्वारा उपभोक्ता से ऐसे समय के भीतर, जो विनिर्दिष्ट किया जाय, उसकी मरम्मत कराने और नुक्स दूर करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) यदि ऐसी मरम्मत विनिर्दिष्ट समय के भीतर न कराई जाय तो निगम इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उपभोक्ता के विरुद्ध किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी मरम्मत करा सकेगा और ऐसी मरम्मत का खर्चा उपभोक्ता से वसूल किया जावेगा।

46. जल-प्रदाय काट देने की शक्ति—(1) निगम किसी भी परिसर के जल-प्रदाय (आम जनता को किये जाने वाले जल-प्रदाय को छोड़कर) को काट सकेगा—

(क) यदि इस अधिनियम के अधीन देय किसी फीस, किराया, जल परिव्यय या कोई प्रभार या अन्य धनराशि का संदाय, उसके लिए बिल दिये जाने के पश्चात् पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर न किया जाय; या

(ख) यदि निगम से ऐसा लिखित नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् जिसके द्वारा उससे ऐसा करने से विरत रहने की अपेक्षा की गई हो, उपभोक्ता इस अधिनियम या कोई नियम या विनियमों या उपविधियों के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए जल का प्रयोग करता अथवा उसका प्रयोग किये जाने की अनुज्ञा देना जारी रखता है; या

(ग) यदि उपभोक्ता जल मीटर या संयोजक पाइप या जोड़ चूड़ी को क्षति पहुंचाता है या ऐसी क्षति पहुंचने देता है; या

(घ) यदि उपभोक्ता निगम के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी या सेवक को ऐसे परिसर में जिसमें वह जल-प्रदाय के संबंध में कोई

कार्य निष्पादित करने या कोई साधित्र लगाने या उसे हटाने अथवा कोई परीक्षा या जांच करने के प्रयोजनार्थ प्रवेश चाहता हो, प्रवेश नहीं करने देता है अथवा किसी ऐसे अधिकारी या सेवक का कोई कार्य निष्पादित करने या कोई साधित्र लगाने या उसे हटाने अथवा ऐसी परीक्षा या जांच करने से रोकता है; या

(ङ) यदि निगम के इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी या सेवक द्वारा परीक्षा करने पर यह पाया जाये कि सेवा पाइप या कोई टोंटी अथवा उससे संबंधित अन्य फिटिंग का कार्य मरम्मत न किये जाने से इतना खराब हो गया है जिससे जल का अपव्यय या अपदूषण होता है और उसकी तत्काल रोकथाम करना आवश्यक है; या

(च) यदि उपभोक्ता इस अधिनियम या नियमों या विनियमों या उपविधियों के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए सेवा पाइप या टोंटी या उससे संयोजित अन्य फिटिंग या कार्य को स्थापित कराये उसे हटाये, उसकी मरम्मत कराये या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करे अथवा ऐसा करने की अनुज्ञा दे; या

(छ) यदि सेवा पाइप या टोंटी अथवा अन्य फिटिंग या कार्य में स्राव होने के कारण किसी सार्वजनिक मार्ग को क्षति पहुंचती है और उसकी तत्काल रोकथाम करना आवश्यक है।

(2) इस धारा के अधीन या अनुसरण में की गई कार्यवाही से कोई व्यक्ति किसी शास्ति या दायित्व से अवमुक्त नहीं होगा जिसे उसने अन्यथा उपगत किया हो।

(3) निगम उप-धारा (1) के अधीन काटे गये जल-प्रदाय को, ऐसे प्रभारों के य और ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जो उपविधियों द्वारा उपबंधित की जायें, फिर से सकेगा।

47. कतिपय अन्य कार्यों का प्रतिषेध—कोई व्यक्ति—

(क) निगम के प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को न तो किसी संकर्म के लिये निशानबन्दी करने से जानबूझकर बाधित करेगा और न ऐसे संकर्म के संबंध में निशानबन्दी के प्रयोजन से भूमि पर स्थापित किये गये किसी स्तंभ, खम्भे या रोक को उखाड़ेगा या हटायेगा अथवा उक्त प्रयोजन के लिये किये गये किसी संकर्म को विरूपित या नष्ट करेगा; अथवा

(ख) जानबूझ कर या उपेक्षापूर्वक निगम के किसी ताले, टोंटी, वाल्व, पाइप, मीटर या अन्य कार्य या साधित्र को न तो तोड़ेगा, न क्षति पहुंचायेगा, न मोड़ेगा, न खोलेगा, न बन्द करेगा, न हटायेगा और न ही उसमें अन्य प्रकार से हस्तक्षेप करेगा; अथवा

(ग) निगम के किसी जल संकर्म से प्रवाहित जल या ऐसा जल-प्रदाय करने वाले जल मार्ग के बहाव में विधि विरुद्धतया न तो बाधा डालेगा, न उससे जल बहायेगा, न निकालेगा, न उसे मोड़ेगा और न ही उससे जल लेगा; अथवा

(घ) इस अध्याय के अधीन निगम के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा उसके कर्तव्यों और कृत्यों के पालन और निर्वहन में न तो बाधा डालेगा और न उसे तद्धीन किसी संकर्म के संबंध में प्रवेश, निरीक्षण, परीक्षा या जांच करने के लिये आवश्यक साधन देने से इंकार करेगा और न उसे प्रस्तुत करने में जानबूझ कर उपेक्षा करेगा; अथवा

(ङ) किसी जल संकर्म के भीतर, उस पर या उसके ऊपर न तो नहायेगा, न उसमें किसी पशु की धुलाई करेगा न उसमें किसी पशु को फेंकेगा या उसका प्रवेश करायेगा अथवा किसी संकर्म में न तो कोई कचरा, धूल या गलीज वस्तु फेंकेगा और न उसमें कोई कपड़ा, ऊन या चमड़ा या किसी पशु की खाल की धुलाई या सफाई करेगा अथवा किसी हौदी या नाली या किसी वाष्प इंजन या बायलर का पानी अथवा किसी अन्य दूषित जल को किसी जल संकर्म की ओर न तो ले जाने देगा और न उसमे मिलाने देगा और न कोई ऐसा अन्य कार्य करेगा जिससे निगम के किसी भी जल संकर्म का पानी दूषित हो जाये अथवा उसके दूषित होने की संभावना हो।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) की कोई बात किसी ऐसे उपभोक्ता पर जो अपने परिसर को जल-प्रदाय करने वाले सेवा पाइप पर लगाई गई रोक टोंटी को बंद करता हो लागू नहीं होगी यदि उसने किसी ऐसे अन्य उपभोक्ता को जिसके जल-प्रदाय पर टोंटी बन्द करने का प्रभाव पड़ता हो, सहमति प्राप्त करली हो।

अध्याय-7

सीवरेज

48. सीवर से संयोजित करने के लिये स्वामी या अधिभोगी का अधिकार— किसी परिसर का स्वामी या अधिभोगी परिसर के सीवेज को निगम के किसी सीवर में गिराने का हकदार होगा परन्तु ऐसा करने से पूर्व वह—

(क) निगम की लिखित अनुज्ञा अभिप्राप्त करले और उपविधियों के अनुसार संयोजन फीस एवं अन्य प्रभारों का संदाय कर दे; और

(ख) ऐसी अन्य शर्तों का जिनका उपविधियों द्वारा उपबंध किया जाय, अनुपालन करे।

49. स्वामी से सीवर संयोजन लेने की अपेक्षा करने की शक्ति—जब निगम की राय में किसी परिसर में सीवेज के प्रभावी निस्तारण के लिये पर्याप्त साधन नहीं है और निगम का सीवर परिसर के किसी भाग से पचास मीटर से अनधिक की दूरी पर स्थित है तो निगम, लिखित नोटिस द्वारा उक्त परिसर के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उपविधियों द्वारा यथा उपबंधित सीवर संयोजन करा ले। जहां स्वामी से सीवर संयोजन कराने की अपेक्षा की गई हो और वह ऐसा करने में विफल रहता है तो, वह इस अधिनियम की धारा 36 के अनुसार सीवरेज भार देने का दायी होगा।

50 बिना अनुज्ञा के सीवर से संयोजित करने का प्रतिषेध—कोई भी व्यक्ति निगम की अनुज्ञा बिना, निगम के किसी सीवर से कोई संयोजन या संचार न तो करेगा और न करायेगा।

51. अनुज्ञा के बिना सीवर के ऊपर प्राइवेट मार्ग या भवन निर्माण करने का प्रतिषेध—कोई भी व्यक्ति निगम की अनुज्ञा के बिना निगम के किसी सीवर के ऊपर कोई प्राइवेट मार्ग, भवन या अन्य संरचना का निर्माण नहीं करेगा।

52 सीवर या मलकूप के संवातन के लिये नाल (शाफ्ट) आदि लगाने की शक्ति—निगम किसी सीवर या मलकूप के, चाहे वह निगम में निहित हो या न हो, संवातन के प्रयोजनार्थ कोई नाल या पाइप, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, किसी परिसर पर खड़ा कर सकेगा अथवा किसी भवन के बाहर या किसी पेड़ पर लगा सकेगा।

53. दोषयुक्त प्रतीत होने वाले सीवर आदि की परीक्षा तथा जांच करने की शक्ति—(1) जब निगम को यह प्रतीत हो कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि कोई प्राईवेट सीवर या मलकूप ऐसी दशा में है जो जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है या जो अनुवास है अथवा निगम के सीवर से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संचार करने वाला कोई प्राइवेट सीवर इतना दोषयुक्त है जिससे कि उसमें अवभूमि-जल या कंकड़ या अन्य पदार्थ आते हों तो निगम उसकी स्थिति की परीक्षा कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसी जांच कर सकेगा जो दबावयुक्त जल द्वारा की जाने वाली जांच न हो और यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो भूमि को खोद सकेगा।

(2) यदि परीक्षा करने पर सीवर या मलकूप उचित स्थिति में पाया जाय तो निगम, यथासम्भव शीघ्र, किसी ऐसी भूमि को जो उसके द्वारा खोदी गई हो, पूर्व स्थिति में

लायेगा और अपने द्वारा कारित नुकसान के लिये प्रतिकर का अवधारण और उसका संदाय करेगा।

54. कतिपय अन्य कार्यों का प्रतिषेध—कोई व्यक्ति —

(क) इस अध्याय के अधीन निगम के प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को जानबूझकर न तो किसी संकर्म के लिये निशानबन्दी करने से बाधित करेगा और न ऐसे संकर्म के संबंध में निशानबन्दी के प्रयोजनों से भूमि पर स्थापित किये गये किसी स्तम्भ, खम्भे या रोक को उखाड़ेगा या हटायेगा अथवा उक्त प्रयोजनों के लिये किये गये किसी संकर्म को विरूपित या नष्ट करेगा; अथवा

(ख) जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किसी ताले, वाल्व, पाइप या अन्य संकर्म या साधित्र को, जो निगम के हों तथा इस अध्याय के अधीन उसके कर्त्तव्यों एवं कृत्यों से सम्बद्ध हों, न तो तोड़ेगा न क्षति पहुंचायेगा, न मोड़ेगा, न खोलेगा, न बन्द करेगा, न हटायेगा और न ही अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा; अथवा

(ग) निगम के किसी संकर्म के सीवेज संबंधी कार्य के बहाव में विधि विरुद्धतया न तो बाधा डालेगा और न उससे पानी बहायेगा, न अन्यत्र ले जायेगा, न उसे मोड़ेगा और न ही उससे कोई गंदगी निकालेगा; अथवा

(घ) निगम के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा इस अध्याय के अधीन अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में न तो बाधा डालेगा और न उसे तद्धीन किसी सीवेज संकर्म के संबंध में कोई प्रविष्टि, निरीक्षण, परीक्षा या जांच करने के लिये आवश्यक साधनों को प्रस्तुत करने से इन्कार करेगा और न जानबूझकर उपेक्षा करेगा।

55. **प्रवेश सर्वेक्षण आदि करने की शक्ति**—(1) निगम या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या सेवक, सहायकों या कर्मचारी के साथ या उनके बिना, किसी परिसर में या उस पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये प्रवेश कर सकेगा:—

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, मापन, मूल्यांकन या जांच करने;

(ख) सतह मालूम करने;

(ग) अवभूमि खोदने या बेधने;

(घ) सीमाओं तथा निर्माण कार्य की आशयित रेखाओं को नियत करने,

(ङ) चिन्ह ... र या खाइयां काटकर ऐसी सतहों, सीमाओं और रेखाओं को चिन्हित करने;

(च) कोई अन्य कार्य करने जो इस अधिनियम या किन्हीं नियमों या विनियमों या उप-विधियों के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हो:

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में निगम के अधिकारी या सेवक द्वारा परिसर के अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सम्यक ध्यान रखा जायेगा।

(2) जब कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी परिसर में या उस पर प्रवेश करने का हकदार हो तो वह उसी प्रकार किसी संलग्न परिसर में या उस पर भी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत किसी कार्य के लिये अथवा वहां कोई मिट्टी, प्रेषण प्रस्तर या अन्य पदार्थ इकट्ठा करने अथवा ऐसे कार्य तक पहुंचने या, किसी अन्य प्रयोजन के लिये जो उसके निष्पादन से सम्बद्ध हो प्रवेश कर सकेगा।

(3) किसी स्थान में प्रवेश करने के लिये प्राधिकृत किसी अधिकारी या सेवक के लिए कोई दरवाजा, फाटक या अन्य अवरोध खोलना या खुलवाना विधिपूर्ण होगा, यदि—

(क) वह इस प्रकार प्रवेश करने के प्रयोजनार्थ उसका खोला जाना आवश्यक समझता हो, तथा

(ख) स्वामी अधिभोगी अनुपस्थित हो या उपस्थित होते हुए भी ऐसा दरवाजा या फाटक खोलने या अवरोध हटाने से इन्कार करता हो।

56. टंकियों, पोखरों तथा कुओं को विसंक्रमित करने की शक्ति—निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या सेवक किसी टंकी, पोखर या कुए की सफाई या विसंक्रमण, उसके स्वामी या अधिभोगी को, यदि कोई हो, नोटिस देने के पश्चात् करा सकता है जब उसे यह प्रतीत हो कि ऐसी सफाई या विसंक्रमण किसी भी भयानक रोग को फैलाने से रोकेगा या बचायेगा। निगम सफाई या विसंक्रमण कराने का व्यय उक्त टंकी, पोखर या कुए स्वामी या अधिभोगी से वसूल करेगा।

अध्याय–8

शास्ति तथा प्रक्रिया

57. सामान्य शास्ति—कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अथवा किसी नियम या उपविधि के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है अथवा इस अधिनियम या किसी नियम या उपविधि के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो उसे, दोषसिद्धि पर, जुर्माने का, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा और प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसा उल्लंघन या विफलता जारी रहने पर अग्रेतर जुर्माने का जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये पचास रुपये तक हो सकेगा, दंड दिया जायेगा।

58. अपराधों का संज्ञान—कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि अपराध किये जाने के पश्चात् अगले छः मास के भीतर निगम द्वारा उनका परिवाद न किया जाय।

59. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) यदि किसी कम्पनी द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है तो अपराध किये जाने के समय कम्पनी के कार्य संचालन के लिये उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति तथा कम्पनी अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तद्नुसार वे अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने के दायी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दंड का दायी नहीं होगा; यदि वह यह साबित करदे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप–धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा कोई अपराध किया गया हो और यह साबित हो जाये कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक,, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमती या मौनानुकूलता से किया गया है या ऐसे अपराध का किया जाना उसकी ओर से उपेक्षा के फलस्वरूप माना जा सकता है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ—

(क) कम्पनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में; निदेशक से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

60. अपराधों का शमन—(1) प्रबन्ध निदेशक अथवा निगम द्वारा तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निमित प्राधिकृत उसका कोई अन्य अधिकारी या तो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिये कार्यवाहियां संस्थित किये जाने के या तो पूर्व या पश्चात् ऐसे अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति से अपराध के प्रतिकर स्वरूप दो हजार रुपये से अनधिक राशि, जितनी वह उचित समझे, प्रतिग्रहित कर सकेगा।

(2) ऐसी राशि का संदाय किये जाने पर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उसी अपराध के लिये कोई आगे कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अध्याय-9

बाह्य नियन्त्रण

61. नीति विषयक प्रश्नों पर निगम को निदेश—(1) अपने कर्त्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का निर्वहन करने में निगम नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से मार्ग दर्शित होगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किये जायं।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उप-धारा (1) के अधीन निदेश जारी कर सकती है तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

62. निगम द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, आंकड़े, विवरणियां तथा अन्य सूचना—(1) निगम प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र ऐसी तारीख से पूर्व और ऐसे प्रारूप में जैसा कि राज्य सरकार निदेश दे, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने क्रियाकलापों का लेखा देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट में ऐसे क्रियाकलापों का भी, यदि कोई हो, लेखा दिया जायेगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा हाथ में लिये जाने की सम्भावना हो। राज्य सरकार प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

(2) निगम राज्य सरकार को ऐसे समयों पर और प्रारूप में तथा ऐसी रीति से जैसा राज्य सरकार निदेश दें ऐसे आंकड़े तथा विवरणियों और निगम के किसी प्रस्तावित या विद्यमान क्रियाकलापों अथवा निगम के नियन्त्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे ब्योरे, जिनकी राज्य सरकार समय समय पर अपेक्षा करे, भी प्रस्तुत करेगा।

अध्याय-10

प्रकीर्ण

63. स्थानीय निकायों तथा पुलिस का सहायता देने का कर्त्तव्य—(1) सभी स्थानीय निकाय, निगम को ऐसी मदद और ऐसी सहायता देंगे तथा ऐसी सूचना प्रस्तुत करेंगे और उनके निरीक्षण तथा परीक्षा के लिये (और यदि आवश्यक हो तो उनकी

प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए) ऐसे अभिलेख, मानचित्र, रेखांक और अन्य दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे जो उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन करने के लिये अपेक्षित हों।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक स्थानीय निकाय, मांग किये जाने पर निगम को परिसरों के वार्षिक मूल्य का निर्धारण और फीस तथा प्रभार के उद्ग्रहण के संबंध में कर निर्धारण सूचियां तथा अन्य सुसंगत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां या उनके उद्धरण समुचित फीस का संदाय करने पर उपलब्ध करायेगा।

(3) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधियां जिसके अधीन कोई स्थानीय निकाय गठित किया गया है, किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी स्थानीय निकाय को ऐसा निदेश दे सकेगी जो उसकी राय में निगम को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का निर्वहन करने हेतु समर्थ बनाने के लिये आवश्यक या समीचीन हों और तदुपरान्त उस स्थानीय निकाय का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का अनुपालन करे।

(4) प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी भी नियम या विनियम के उपबन्धों या किसी योजना को कार्यान्वित करने और प्रवृत करने में निगम से सहयोग करे;

(ख) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या विनियम या योजना के विरुद्ध किसी भी अपराध करने की परिकल्पना या उसके किये जाने की कोई भी सूचना, जो ऐसे पुलिस अधिकारी को प्राप्त हो, निगम के सम्बन्धित अधिकारी या सेवक को अविलम्ब संसूचित करे; तथा

(ग) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी भी नियम या विनियम या योजना के अधीन निगम या उसके किसी अधिकारी या सेवक में निहित किसी शक्ति का विधिपूर्ण प्रयोग करने के लिए ऐसे पुलिस अधिकारी से सहायता मांगने पर निगम या ऐसे किसी अधिकारी या सेवक की सहायता करे।

(5) कोई पुलिस अधिकारी जो इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के पालन का लोप या उससे इन्कार या उसकी उपेक्षा करता है उसके लिये यह समझा जायेगा कि उसने पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 29 के अधीन अपराध किया है।

64. प्रतिकर का संदाय करने के लिये सामान्य शक्ति—किसी ऐसे मामले में जिसका इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबन्धन किया गया हो, निगम किसी ऐसे

व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में समुचित रकम का संदाय कर सकेगा जिसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन नियम में निहित किसी शक्ति का प्रयोग करने के कारण नुकसान पहुंचा हो।

65. सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों के लिए संरक्षण—इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये किन्हीं नियमों, विनियमों, या उपविधियों के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित किसी बात के लिये कोई भी वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार निगम या राज्य सरकार या निगम के निदेशकों या किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध न होगी।

अध्याय–11

नियम, विनियम तथा उपविधियां

66. नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर पन्द्रह दिन की कालावधि के लिये जो एक सत्र में दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी रखा जायेगा और यदि उस सत्र के ठीक बाद के सत्र के अथवा पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के अवसान के पूर्व सदन उस नियम में कोई उपान्तर करने के लिये सहमत हो जाय या सदन सहमत हो जाय कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिये और ऐसा विनिश्चय राज-पत्र में अधिसूचित कर देता है तो वह नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से यथा स्थिति ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या किये जाने से लोपित किसी भी बात के विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

67. विनियम—(1) निगम, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, अपने कार्यकलापों के प्रशासन के लिये इस अधिनियम और नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) निगम की तथा उसके द्वारा नियुक्त समितियों की बैठकें बुलाना और करना, समय और स्थान जहां पर ऐसी बैठकें की जायें, ऐसी बैठकों में कार्य संचालन तथा बैठकों में गणपूर्ति के लिए व्यक्तियों की आवश्यक संख्या;

(ख) निगम के कर्मचारियों की भर्ती, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(ग) निगम के कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य;

(घ) निगम की सम्पत्ति का प्रबन्ध;

(ङ) निगम की ओर से संविदाओं और सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण-पत्रों का निष्पादन तथा निगम के आदेशों एवं लिखितों का अधिप्रमाणीकरण;

(च) वह सीमा जिस तक प्रबन्ध निदेशक किसी वित्तीय वर्ष में आवर्ती अथवा अनावर्ती व्यय उपगत करने के लिये सक्षम होगा;

(छ) निगम द्वारा लेखों का रखा जाना और तुलन-पत्र तैयार किया जाना;

(ज) इस अधिनियम के अधीन निगम के कर्त्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिये प्रक्रिया;

(झ) कोई अन्य मामला जिसके लिये विनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सके।

(3) जब तक उप-धारा (1) के अधीन निगम द्वारा कोई विनियम न बनाये जायें, कोई विनियम जो उसके द्वारा बनाये जा सकते हों राज्य सरकार द्वारा बनाये जा सकेंगे, और इस प्रकार बनाए गए किन्हीं विनियमों में निगम उप-धारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके परिवर्तन कर सकेगा या उन्हें विखंडित कर सकेगा।

68. उपविधियां—(1) निगम, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये जनसाधारण को प्रभावित करने वाले किसी मामले के सम्बन्ध में इस अधिनियम और नियमों से संगत उपविधियां बना सकेगा।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी उपविधियों में निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्—

(क) घरेलू अथवा अन्य प्रयोजनों के लिये जल-प्रदाय के निबन्धन एवं शर्तें;

(ख) मीटरों का लगाया जाना या उनके संयोजन को अन्तरित करना और उनका प्रयोग, अनुरक्षण, जांच करना, संयोजन काटना और उसका पुनः संयोजन, उसके सम्बन्ध में फीस, किराया तथा अन्य प्रभार जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता द्वारा प्रतिभूति देना भी है और उससे सम्बद्ध मामले;

(ग) निगम के सीवर से संयोजन के लिये दी जाने वाली फीस, किराया तथा अन्य प्रभार और ऐसे संयोजनों के लिये अन्य निबंधन एवं शर्तें;

(घ) उपभोक्ता को की गई सेवाओं के लिए निगम को दी जाने वाली कोई अन्य फीस और प्रभार;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसके लिए उपविधियों में उपबंध किया जाना हो या किया जा सके।

रणजीतमल खिवसरा,
शासन सचिव।